रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012024-251386 CG-DL-E-17012024-251386

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] No. 45] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2024/पौष 26, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2024/PAUSHA 26, 1945

### भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली,16 जनवरी, 2024

- फा. सं. एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-I-एचक्यू(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
  - (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है), के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,—

325 GI/2024 (1)

- (क) खंड (छक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: :— '(छख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप" से वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है;'; और
- (ख) खंड (ड) में, "या जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना का अद्यतीकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- 3. मूल विनियमों में, विनियम 11 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत∷ —

#### "11. नामांकन केंद्र पर सूचना को संग्रहित करना.—(1) ऑपरेटर—

- (क) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा अनुसूची-I में दिए हुए प्रपत्र में प्रस्तुत जनसांख्यिकीय सूचना; और
- (ख) प्राधिकरण द्वारा जो सॉफ्टवेयर प्रदत्त या अनुमोदित किया गया है केवल उसका उपयोग करते हुए बायोमेट्रिक सूचना,

को प्रग्रहित (कैप्चर) करेगा।

- (2) विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, ऑपरेटर—
  - (क) प्रत्येक ऐसे दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रति बनाएगा;
  - (ख) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को उप-विनियम (1) के अंर्तगत प्रग्रहित (कैप्चर) की गई सूचना और खंड (क) में निर्दिष्ट प्रति की सटीकता की पड़ताल करने का अवसर देगा और, ऐसी पड़ताल के पश्चात्, ऐसी सूचना और प्रति को सीआईडीआर को अपलोड करेगा;
  - (ग) ऐसे किसी दस्तावेज की भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रति को बनाएगा या संग्रहित नहीं करेगा, सिवाय—
    - (i) खंड (ख); या
    - (ii) अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं अन्य विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी नीति, प्रक्रिया, दिशानिर्देश, आदेश, कार्यप्रणाली, मानक, विनिर्देशन या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट उपबंधों,

के अनुसार;

- (घ) ऐसे दस्तावेज वापस करेगा; और
- (ङ) 🔠 नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को ईआईडी और अन्य नामांकन विवरण से युक्त एक पावती प्रदान करेगा।
- (3) नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनुसरण की जाने वाली कार्यप्रणालियाँ, प्रक्रियाएं, मानक और दिशानिर्देश, और इसे संपादित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रपत्र, खाके (टेम्पलेट्स) और जांच पड़ताल सूची (चेकलिस्ट्स), ऐसी होंगी जैसी प्राधिकरण इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।"।
- 4. मूल विनियमों में, विनियम 16क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत∷ :—
  - **"16क. दस्तावेज या सूचना को अद्यतित करना.**—एक आधार नंबर धारक, उसे समनुदेशित आधार नंबर के सृजतन की तारीख से 10 वर्ष की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर, अनुसूची-I में दिए गए ऐसे प्रपत्र जो ऐसे आधार नंबर धारक को अनुप्रयोज्य हो या

प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन पर प्रावधानित ऑनलाईन प्रपत्र में, विनियम 10 में निर्दिष्ट पहचान के सबूत और पते के सबूत को साक्ष्यित करने वाले दस्तावेजों या सूचना को प्रस्तुत करके और—

- (क) अधिप्रमाणन करके और ऐसे दस्तावेजों को, मूल में, एक नामांकन केंद्र पर विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में यथा उपबंधित के समान रीति से प्रस्तुत करके;
- (ख) प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन पर ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन, जैसी भी स्थिति हो, पर इस प्रयोजनार्थ उपबंधित रीति में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोड करके; या
- (ग) उक्त सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचना को, ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति दे करके,

कम से कम एक बार अद्यतित कर सकेगा, ताकि केंद्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में उसकी सूचना की सतत शुद्धता सुनिश्चित करने में सहायता हो :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोर्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्ति प्राधिकरण द्वारा अद्यतीकरण की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा इसे समर्थित किए जाने के अध्यधीन होगा।"।

- 5. मूल विनियमों में, विनियम 19 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत∷ :—
  - "19. आधार नंबर धारक की सूचना को अद्यतन करना.—(1) कोई आधार नंबर धारक जो सीआईडीआर में उसकी सूचना को एक नामांकन केंद्र पर अद्यतित करना चाहता है, अनुसूची-I में दिए गए ऐसे प्रपत्र जो ऐसे आधार नंबर धारक को अनुप्रयोज्य हो, में आवेदन प्रस्तुत करेगा, अधिप्रमाणन करेगा और—
    - (क) नामांकन केंद्र पर, मूल में, सत्यापन और स्कैन करने के लिए, पहचान का सबूत और पते का सबूत साक्ष्यित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों और, जहां अनुप्रयोज्य हो, जन्म तिथि का सबूत या संबंध का सबूत या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करेगा; या
    - (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचना को, ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से, इलेक्टॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति देगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण या सूचना की इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्ति ऐसे अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित किए जाने के अध्यधीन होगा।

- (2) एक आधार नंबर धारक जो प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन का उपयोग करके सीआईडीआर में उसकी सूचना को अद्यतित करना चाहता है—
  - (क) ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन, जैसी भी स्थिति हो, पर ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी ऐसे अद्यतीकरण के लिए वहाँ प्रावधानित ऑनलाइन प्रपत्र में भरना अपेक्षित हो; और
  - (ख) ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन पर, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों की प्रति को इलेक्ट्ऱॉनिक रूप में अपलोड करेगा, या ऐसे सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचना को ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के डेटाबेसों के व्यवहारी प्राधिकारियों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति देगा:

परन्तु यह कि ऐसा *अपलोड* करना या इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्ति ऐसे अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित किए जाने के अध्यधीन होगी।

- (3) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि आधार नंबर धारक ने पूर्व में उसके संबंध में—
  - (क) जन्म तिथि की सूचना एक बार;
  - (ख) लिंग की सूचना एक बार; या
  - (ग) नाम की सूचना दो बार,

अद्यतित की है तो ऐसी सूचना का अद्यतीकरण केवल ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

- (4) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी एक सूची अनुसूची-II में है।
- (5) अद्यतीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में संग्रहित सूचना का सत्यापन अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या उप-विनियम (1) के खंड (ख) या उप-विनियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक सूचना के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु यह कि—

- (क) केंद्रीय सरकार या एक राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी; या
- (ख) ऐसी सूचना या दस्तावेजों की तैयारी या अनुरक्षण से संबंधित किसी प्राधिकरण, की सहायता ऐसे सत्यापन के प्रयोजनार्थ ली जा सकेगी।
- (6) ऑपरेटर, नामांकन केंद्र पर अद्यतीकरण के लिए सूचना संग्रहित करते समय, विनियम 11 के अंतर्गत एक नामांकन केंद्र पर नामांकन के लिए सूचना के संग्रहण के लिए अनुप्रयोज्य अपेक्षाओं का, यथायोग्य परिवर्तनों सहित, पालन करेगा।
- (7) नामांकन केंद्र पर अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर, ऑपरेटर आधार नंबर धारक को एक ऐसे नंबर से युक्त अभिस्वीकृति देगा जो उसे संग्रहित सूचना के प्रसंस्करण की स्थिति ज्ञात करने में समर्थ बनाए।"।
- 6. मूल विनियमों में, अध्याय-VI में, उक्त अध्याय के शीर्षक के नीचे, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: :—
  "26क. निर्वचन—इस अध्याय और अनुसूची-VI में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, एक आधार नंबर के संबंध में, "रद्द करना" या "लोप करना" अभिव्यक्तियों का अर्थ ऐसे आधार नंबर का लोप होना होगा, और उनके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे।"।
- 7. मूल विनियमों में, विनियम 28क में, "समय-समय पर" शब्दों के स्थान पर, "समय-समय पर, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) और उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश और दिए गए निर्देश, या विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम" शब्द, कोष्ठक और अंक, अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 8. मूल विनियमों में, "अनुसूची-I", "अनुसूची-II" और "अनुसूची-VI" के लिए क्रमश:, निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत : :—

#### "अनुसूची-I

#### प्रपत्र 1: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

# (क) निवासी भारतीय, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय (18 वर्ष और अधिक आयु) के लिए कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अन्देशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन: नामांकन	या	अद्यर्त	करण		,
2	<b>निवास की स्थिति :</b> ि निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय <i>(एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे घोषणा का पैरा 1(ग)</i>					
	देखें)					
3	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :					
	(क) नाम :					
	{कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (		ग, पीओआई दस्ता			
		जन्म तिथि :				YYYY) या <b>आयु</b> :
	ि पुरुष	सत्यापित य				ानित <i>(केवल आयु के लिए)</i>
	्राय लिग / परलागक <i>्रावा</i> क (ट्रांसजेंडर)	त या अनुमाानत	क ालए, आधार व	गड पर कवल	घा।षत/अ	नुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)
	(घ) ईमेल :				(ङ) म	गोबाइल नंबर :
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :	दस्त	ावेज सत्यापन	या		रिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> द्वारा पुष्टि
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकर	 एण के लिए, अ	तिरिक्त जनसां	ख्यिकीय र	यूचना औ	
	(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यती	करण के मामले मे	ों भरी जानी चाहि	ए)		
	<b>(क) पता :</b> द्वारा <i>(ऐच्छिक)</i> :					
	मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट :		•		डक : 	
	भूमि-चिन्ह <i>(लैंडमार्क)</i> : गांव/नगर/शहर :	<del> </del>	नंबर :	<u>i</u>	त्र / इलाव	का / सेक्टर :
			घर <i>(अनिवार्य)</i> —	):		पिन कोड <i>(अनिवार्य)</i>
	उप-जिला : (ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार :	T	जिला : राज्य :			
	(ष्र) प्रस्तुत परतापजा पर प्रपार . (यूआईडीएआई की वेबसाइट और	(i) पहचान का सबूत <i>(पीओआई) :</i> (ii) पते का सबूत <i>(पीओए) :</i>				
	नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित ''स्वीकार्य		सबूत <i>(पाआए</i> , ोथि का सबूत <sub>।</sub>		/ <del>1) C</del>	1.
	सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)				,	
6	<i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या पते वे	ь अद्यतीकरण	के लिए, अति			
	(क) <i>एचओएफ</i> के ब्यौरे : (i) न	ाम :		<u></u> आ	धार नंब	₹:
	()	माता L	— पिता — ०		ाक सरंक्षा —	
	अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण व (ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्त		पति या प फ्र	त्ना _	सता	न / प्रतिपाल्य <i>(वार्ड)</i> 🔃 भाई या बहन
	(ख) तथन पर तथूत पर रूप में प्रस्तुत पर (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों	गापण पर्ग त्रपग <i>पर प्रदर्शित "स्वी</i>	। 🗙 . ोकार्य सहायक दस्त	नावेजों की सून	त्री'' देखें)	
	मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति					
	देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विस	द्ध दर्ज पते को	ो आवेदक के अ	ाधार नंबर	के विरुद्ध	; पते के रूप में दर्ज किया जाए।
						•
		गच्योग	एक के हस्ताक्ष	<b>.</b>		
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना		; 11 41 6 \ (1141	`		
	(क) आवेदक का आधार नंबर :		1 [ ] [	7		
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :		<u> </u>	 होटो. अंगरि	—— लेयों की	छाप और <i>आइरिसें)</i> 🔲 नाम 🔲
	जन्म तिथि			,		
	🔲 लिंग 🔲 पता 🔲 मोब	ाइल 🔲	ईमेल 🗀	] पीओआई	और <i>पी</i>	ओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण
			घोष	णा		
	1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करत	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			_	
	(क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना अ	ौर दस्तावेज मे	ोरी सर्वोत्तम सृ	्चना और	विश्वास व	के अनुसार सही हैं;

- (ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और
- (ग) मैं भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) हूँ या मैं एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) हूँ।
- 2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम,
   2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।
- 4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :
सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

<sup>\*</sup> यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमित देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

प्रपत्र 1 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	उद्देश्य	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
3	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द <i>(मिस्टर</i> , सुश्री <i>/मिज़, मिसेज़</i> , श्री, श्रीमती, कुमारी,	
		थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/ <i>जस्टिस</i> , रक्षा सेवा	
		रैंक, <i>ऐक्लिसिआस्टिकल</i> उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर,	
		सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम /	
		<i>एलिअस</i> (उर्फ़, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	
(ख)	जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या	(1) कृपया <i>डीओबी</i> या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
	आयु	(2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का	
		निशान (✔) लगाएँ।	
		(3) यदि जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो	
		"सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ।	
		(4) यदि <i>पीडीबी</i> उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i>	
		या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार	
		कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(ঘ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवासी भारतीय <i>(एनआरआई)</i> के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐच्छिक
		(2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई <i>एसएमएस / टेक्स्ट</i> संदेश	
		नहीं भेजा जाएगा।	
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन,	/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	

(क)	पता	(1)   कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2) पते में ''द्वारा'' के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी	
		दस्तावेज आवश्यक नहीं है।	
		(3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं।	
		(4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन	
		कोड के आधार पर स्वत: प्रविष्ट किया जाएगा।	
		(5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमित दी जा सकती है।	
		(6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	
		(7) यदि आवेदक <i>एनआरआई</i> है और उसके पास भारत में पते के लिए <i>पीओए</i> नहीं	
		है, तो कृपया प्रपत्र 2 का प्रयोग करें।	
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	<ul> <li>(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित</li> <li>"स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।</li> </ul>	अनिवार्य
		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने	
		और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
		(3) <i>एनआरआई</i> के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट एकमात्र स्वीकार्य <i>पीओआई</i> है।	
6	एचओ	एफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावे	ज :
(क)	<i>एचओएफ</i> के ब्यौरे	(1)   कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2)   कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	
		(3) <i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन के लिए, <i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या अधिक आयु का	
		और आवेदक का माता, पिता या विधिक सरंक्षक होना चाहिए।	
		(4) <i>एचओएफ-</i> आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए, <i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या अधिक	
		आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक सरंक्षक, पति या पत्नी, संतान /	
		प्रतिपाल्य <i>(वार्ड)</i> या भाई या बहन होना चाहिए।	
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज का	<ul> <li>(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित</li> <li>"स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।</li> </ul>	अनिवार्य
	प्रकार	<ul><li>(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।</li></ul>	
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरित्त	ह सूचना :	
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और <i>आइरिसें)</i> का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

<sup>\*</sup> जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

#### प्रपत्र 2: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

1	प्रयोजन : ा नामांकन या आद्यतन					
2	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :					
	(क) नाम :					
	{कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस)  के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}					
	(ख) लिंग : ☐ महिला (ग) जन्म तिथि : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					
	पुरुष					
	्रियोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) (ट्रांसजेंडर)					
	(इ) मोबाइल नंबर : [ ] [ ] [ ] [ ]					
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : □ दस्तावेज सत्यापन या □ परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> द्वारा पुष्टि					
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :					
	 (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)					
	(क) पता (जैसा वैध भारतीय पासपोर्ट में दिया गया					
	है:					
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : वैध भारतीय पासपोर्ट					
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित 'स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों (ii) पते का सबूत <i>(पीओए) :</i> वैध भारतीय पासपोर्ट					
	की सूची" देखें) (iii) जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी) (ऐच्छिक)</i> :					
5	<i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :					
	(क) <i>एचओएफ</i> के ब्यौरे (i) नाम : आधार नंबर :					
	:   ''					
	(ii) आवेदक से संबंध : पिता पिता विधिक सरंक्षक					
	अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण के लिए) : 🔲 पति या पत्नी 🖳 संतान / प्रतिपाल्य <i>(वार्ड)</i> 🔲 भाई या बहन					
	(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकार :					
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित ''स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची'' देखें) मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति					
	देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।					
	<i>एचओएफ</i> के हस्ताक्षर :					
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :					
	(क) आवेदक का आधार नंबर :					
	<b>(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना</b> : बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और <i>आइरिसें)</i> नाम					
	जन्म तिथि					
	ि लिंग ि पता ि मोबाइल ि ईमेल ि <i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> दस्तावेजों का अद्यतीकरण <b>घोषणा</b>					
	वापणा   1.  मैं एतद्वारा पृष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि—					
	क्रिया प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;					
	(ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और					
	(ग) मैं एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) हूँ।					
	2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और,					
	इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।					
	3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम,					

2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।

4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर : आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप\* : सत्यापनकर्ता का नाम : तारीख और समय :

नोट : इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 2 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
2	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (मिस्टर, सुश्री/मिज़, मिसेज़, श्री, श्रीमती, कुमारी,	
		थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/जस्टिस, रक्षा सेवा	
		रैंक, <i>ऐक्लिसिआस्टिकल</i> उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए,	
		एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम <i>। एलिअस</i>	
		(उर्फ़, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	
(ख)	जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या	(1) कृपया <i>डीओबी</i> या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
	आयु 	(2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का	
		निशान (✔) लगाएँ।	
		(3) यदि जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ।	
		(4) यदि <i>पीडीबी</i> उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i>	
		या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार	
		कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(ঘ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐच्छिक
		(2) अनिवासी-भारतीय के मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई	
		<i>एसएमएस/टेक्स्ट</i> संदेश नहीं भेजा जाएगा।	
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	
(क)	पता	(1) भरा गया विवरण वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के समान होना	अनिवार्य
		चाहिए।	
( <del>12</del> )	मानन बानाबेजों के महरूर	(2) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	आनवाय
		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने	
		और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	

<sup>\*</sup> यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमति देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

		(3) वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य <i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> है।						
5	एचओ	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :						
(ক)	<i>एचओएफ</i> के ब्यौरे	अनिवार्य						
		<ul> <li>(2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।</li> <li>(3) एचओएफ-आधारित नामांकन के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का</li> </ul>						
		और आवेदक का माता, पिता या विधिक सरंक्षक होना चाहिए।						
		(4) <i>एचओएफ-</i> आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए , <i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या अधिक						
		आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक सरंक्षक, पति या पत्नी, संतान /						
		प्रतिपाल्य <i>(वार्ड)</i> या भाई या बहन होना चाहिए।						
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज का ——	<ul><li>(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।</li></ul>	अनिवार्य					
	प्रकार	(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।						
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :							
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य					
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य					

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और <i>आइरिसें)</i> का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

<sup>\*</sup> जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

नोट : आवेदक के विदेशी पते को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसा प्रभार देय होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

#### प्रपत्र 3: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

### (क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष और उससे अधिक और 18 वर्ष से कम आयु) के लिए

कपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनदेशों का अनसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

	2 11 4 3 3 1 1 11 11 13 13 13 13 13 14 17 13 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17						
1	प्रयोजन:						
2	<b>निवास की स्थिति</b> : भारतीय निवासी या अनिवासी भारतीय <i>(एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे दिये घोषणा के पैरा 1(ग) को</i>						
	देखें}						
3	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :						
	(क) नाम :						
	्रिपया नाम को  किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस)  के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}						
	(ख) लिंग : ☐ महिला (ग) जन्म तिथि : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ वर्ष						
	पुरुष 🔲 सत्यापित या 🔲 घोषित या 🗀 अनुमानित <i>(केवल आयु के लिए)</i>						
	तृतीय लिंग / परलैंगिक <i>(धोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)</i>						
	(वापित या अनुमानित के लिए, आधार कोड पर कवल वापित/अनुमानित जन्म की वर्ष मुद्रित किया जिएगी)						

	(ट्रांसजेंडर)					
	(घ) ईमेल :	(ङ) मोबाइल नंबर :				
	्प) इन्ल . नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : ः		(अ) माबाइल		<u>। । । । । । । । ।                     </u>	
4						
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)					
	(क) पता : द्वारा <i>(ऐच्छिक</i> )∶	(3) 4) 4) 4) 4 (1) 4) 11 (1)	11162)			
	मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट :		सड़क/रोड/ले	न:		
	भूमि-चिन्ह <i>(लैंडमार्क)</i> :	वार्ड नंबर :	क्षेत्र / इलाका	ं / सेक्टर :		
	गांव/नगर/शहर :	डाकघर <i>(अनिवार्य)</i> :	i		पिन कोड <i>(अनिवार्य)</i> :	
	उप-जिला :	जिला :			राज्य :	
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार :	(i) पहचान का सबूत	त <i>(पीओआई) :</i>		<u>i</u>	
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित ''स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की	(ii) पते का सबूत <i>(प</i>	ीओए) :			
	सूची" देखें)	(iii) जन्म तिथि का स	गबूत <i>(पीडीबी)</i>	(ऐच्छिक):		
6	<i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या जनसां	ख्यिकीय सूचना के अद्य	तीकरण के लिए	र, अतिरिक्त सू	चना और प्रस्तुत दस्तावेज :	
	<b>(क) <i>एचओएफ</i> के</b> (i) नाम:			आधार नंब	र् 💷 💷	
	ब्यौरे :					
	(ii)  बालक/बालिका से संबंध : 🔲 म		🔲 विधिक	सरंक्षक		
	(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्ता (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों फ		टस्टावेजों की सर्च	<del>।</del> '' नेग्नें।		
	मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहच				 पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा	
	सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर				र के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए	
	और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग	मेरी पहचान स्थापित व	हरने के लिए वि	त्या जाए।		
	एचओएफ के हस्ताक्षर :					
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :	7 1-11/11 11 11/11	141 ( )			
	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :					
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :	ं बायोमेट्रिक (	फोटो, अंगुलिय <u>े</u>	 ों की छाप और	· <i>आइरिसें)</i> 🏻 नाम 🖳 जन्म तिथि	
	<u> </u>	बाइल 🔲 ईमेल			ए दस्तावेजों का अद्यतीकरण	
			<u> </u>		3	
	1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/	′करती हूँ कि—				
	(क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और	र दस्तावेज मेरी सर्वोत्तग	म सूचना और वि	वेश्वास के अनुस	नार सही हैं;	
	(ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और					
	(ग) बालक/बालिका भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत मे					
	, , , , , ,	सी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।				
	2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उप	परोक्त घोषणा गलत प	ाई जाती है, त	ो बालक/बालि	का का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा	
	सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे	विरुद्ध विधि अनुसार व	कार्रवाई की जा	सकती है।		
	3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार	(वित्तीय और अन्य सह	ायिकियों, प्रसुर्वि	वेधाओं और से	वाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम,	
	2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए	ए विनियमों के अनुसार	उपरोक्त सूचना	उपयोग, प्रकल	ट या साझा की जा सकती है।	

	4. ₽	<mark>ं</mark> पहचान, पते, जन्म तिथि और	/या संबंध	के प्रमाण साक्ष्यित कर	ने वाली सूचन	ा को इलेक्ट्रॉनिक तर्र	ोके से ऐसी सूचना की
	तै	ायारी या अनुरक्षण के व्यवहारी	प्राधिकारिय	गों के डेटाबेसों से अभ <u>ि</u>	प्राप्त करने और	र उपरोक्त सूचना या	दस्तावेजों को सरकारी
	Ų	,जेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधि	कारी से, स	त्यापन के प्रयोजन के ी	लेए, साझा कर	रने के लिए एतद्वारा अ	पनी सहमति देता/देती
	नहरू सहस्र	ξι					
	सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर : माता, पिता या विधिक सरंक्षक						
के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप : सत्यापनकर्ता का नाम : तारीख और समय :							

प्रपत्र 3 भरने के लिए अनुदेश

	प्रपत्र 3 भरने के लिए अनुदेश					
क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक			
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य			
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य			
3	जनसांख्यिकीय सूचना :					
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य			
		(2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द				
		<i>(ऐक्लिसिआस्टिकल</i> उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़				
		दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।				
(ख)	जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या	(1) कृपया <i>डीओबी</i> या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें।	अनिवार्य			
	आयु	(2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का				
		निशान (✔) लगाएँ।				
		(3) यदि जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ।				
		(4) यदि <i>पीडीबी</i> उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i>				
		या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार				
		कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।				
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य			
(ঘ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	<i>एनआरआई</i> के लिए अनिवार्य			
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐच्छिक			
		(2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई <i>एसएमएस / टेक्स्ट</i> संदेश				
		नहीं भेजा जाएगा।				
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य			
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन	ा/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :				
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य			
		(2) पते में ''द्वारा'' के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी				
		दस्तावेज आवश्यक नहीं है।				
		(3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं।				
		(4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन				
		कोड के आधार पर स्वत: प्रविष्ट किया जाएगा।				
		(5) <i>पीओए</i> दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है।				
		(6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।				
		(7) यदि बालक/बालिका <i>एनआरआई</i> है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए				
		<i>पीओए</i> नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 4 का उपयोग करें।				
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	अनिवार्य			
		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने				
	•					

			और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
		(3)	<i>एनआरआई</i> बालक/बालिका के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य	
			पीओआई है।	
6	एचओ	ोएफ आ	धारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावे	ज :
(ক)	एचओएफ के ब्यौरे	(1)	कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2)	कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान 🗸) लगाएँ।	
		(3)	<i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए,	
			<i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या	
			विधिक सरंक्षक होना चाहिए।	
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत	(1)	दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित	अनिवार्य
	<i>(पीओआर)</i> दस्तावेज का		"स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	
	प्रकार	(2)	मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने	
			और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरित्त	क सूचन	π:	
(ক)	बालक/बालिका का आधार	कृपय	ा जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
	नंबर			
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली	कृपय	ा एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
	सूचना			

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

<sup>\*</sup> जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

#### प्रपत्र 4: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष और उससे अधिक और 18 वर्ष से कम आयु) के लिए कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन:	अद्यतन					
2	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :						
	(क) नाम :						
	{कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अ	न्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}					
	(ख) लिंग: 🗆 महिला	(ग) जन्म तिथि : U (DDMMYYYY) या आयु : U					
	🔲 पुरुष	वर्ष					
	तृतीय लिंग / परलैंगिक	सत्यापित या घोषित या अनुमानित (केवल आयु के लिए)					
	(ट्रांसजेंडर)	(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)					
	<b>(घ) ईमेल</b> <i>(अनिवार्य) :</i>	(ङ) मोबाइल नंबर :					
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : 🔲 द	स्तावेज सत्यापन या 🔲 परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> द्वारा पुष्टि					
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :						
	(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण	ण के मामले में भरी जानी चाहिए)					
	(क) पता (जैसा वैध भारतीय पासपोर्ट में दिया गय	ग है) :					

	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : (i) पहचान का	् सबूत <i>(पीओआई) :</i> वैध भा	रतीय पासपोर्ट				
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और (ii) पते का सबत (पीओए) वैध भारतीय पासपोर्ट						
	नामाकन केंद्रो पर प्रदर्शित "स्वीकार्य (iii) जना निधि का गुरुव (गीरीकी) (गोन्स्टिक)						
5	सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना	के अनानीकरण के निमा अधि	े नेरिक मनना और पास्त्र टासावेज :				
5		······	धार नंबर : ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि				
		पिता 🔲 विधिक सरं					
	(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :	विशास 🗀 विशासक स	417 <sup>1</sup>				
	(यूआईडीएआई की वेबसाइटऔर नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य						
	मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझ						
	सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज प और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थ		•				
	आर मरा बाबामाष्ट्रम तूबमा मा उपवाम मरा महावाम र	गावित करना का लिए किया उ	1131				
	एचओएफ	के हस्ताक्षर :					
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :						
	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :						
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना 🔲 बायोमेट्रिक	(फोटो, अंगुलियों की छाप	और <i>आइरिसें)</i> 🔲 नाम 🔲 जन्म तिथि				
	ा लिंग ा पता ा मोबाइल ा	] ईमेल	<sup>र</sup> और <i>पीओए</i> दस्तावेजों का अद्यतीकरण				
		घोषणा					
	1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि—						
	(क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी	सर्वोत्तम सूचना और विश्वा	प के अनुसार सही हैं;				
	(ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सब्	्तों को साक्ष्यित करने वाली	सूचनाओं के हकदार हैं; और				
	(ग) बालक/बालिका एक अनिवासी भारतीय (वैध	भारतीय पासपोर्ट धारक ना	गरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।				
	2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा	गलत पाई जाती है, तो बा	तक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा				
	सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अ	नुसार कार्रवाई की जा सकत् -	<del>ति</del> है।				
	3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अ	् न्य सहायिकियों. प्रसविधाः	ओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम.				
	•	2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।					
	4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की						
	तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी						
	एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती						
	हूँ।		•				
	सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	माता, पिता या विधिक					
	सत्यापनकर्ता का नाम : हस्ताक्षरकर्ता	के हस्ताक्षर/अंगूठे की छ का नाम :	ठे की छाप : तारीख और समय :				
	6/114/4/11		3133 713 4711				

नोट : इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 4 भरने के लिए अनुदेश

	411 1 471 1147 1374					
क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक			

	Ι ΄		
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य —————
2	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(ক)	नाम	(1)    कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द	
		<i>(ऐक्लिसिआस्टिकल</i> उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़	
		दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	
(ख)	जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या	(1)    कृपया जैसा लागू हो, <i>डीओबी</i> या आयु का ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
	आयु	(2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का	
		निशान (✔) लगाएँ।	
		(3) यदि जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ।	
		(4) यदि <i>पीडीबी</i> उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i>	
		या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार	
		कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(ঘ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐच्छिक
		(2) अनिवासी-भारतीय के मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई <i>एसएमएस/टेक्स्ट</i>	
		संदेश नहीं भेजा जाएगा।	
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/	(अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	
(क)	पता	(1) भरा गया विवरण वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के समान होना चाहिए।	अनिवार्य
		(2) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित	अनिवार्य
		"स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	
		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने	
		और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य <i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> है।	
5		<u> </u>	.,
		ोएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज Г	ं: अनिवार्य
(क)	<i>एचओएफ</i> के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	आनवाय
		(2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	
		(3) <i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए,	
		<i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या	
		विधिक सरंक्षक होना चाहिए।	
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज का	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित	अनिवार्य
	<i>प्राजाजार)</i> दस्तावज का प्रकार	"स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	
		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरित्त		
(क)	बालक/बालिका का आधार	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
. ,	नंबर		
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
	1 0	1	

क्र.सं.	सेवा	फीस

1.	नामांकन	नि:शुल्क		
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>		
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>		
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]		

<sup>\*</sup> जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

नोट : आवेदक के विदेशी पते को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसा प्रभार देय होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

#### प्रपत्र 5: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

### (क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष से कम आयु) के लिए

पया	ए इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।							
1	प्रयोजन :	गमांक <u>न</u>	या 🗌 अ	चतन				
2	निवास की स्थिति : 🔲 भा	वास की स्थिति : 🔲 भारतीय निवासी 🏻 या 🔲 अनिवासी भारतीय <i>(एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे दिये घोषणा के पैरा 1(ग) को</i>						
	देखें}							
3	जनसांख्यिकीय सूचना <i>(अद्यती</i>	करण के लिए	केवल अद्यतीकृत की जाने वाल	ी सूचना ही भरें) :				
	(क) नाम:							
	{कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}							
	(ख) लिंग: 🗆 महिला	(ग) र	जन्म तिथि : 🏻 🔻	([	DDMM	YYYY) या <b>आयु</b> : 🎞 वर्ष		
	🔲 पुरुष		सत्यापित या 🔲 घो	षित या 🔲	अनुमानि	नेत <i>(केवल आयु के लिए)</i>		
	तृतीय लिंग / परलैंगिक	(घोषित	ा या अनुमानित के लिए, आधा	र कार्ड पर केवल घो	षित/अनुम	ानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)		
	(ट्रांसजेंडर)							
4	(घ) ईमेल :							
4	<b>नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :</b> परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> द्वारा पृष्टि							
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ना और '	प्रस्तुत दस्तावेज :		
	(पते की सूचना केवल नामांकन या प		रण के मामले में भरी जानी चा	हिए)				
	<b>(क) पता :</b> द्वारा <i>(ऐच्छिक)</i>							
	मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट	:		सड़क/रोड/लेन:				
	भूमि-चिन्ह <i>(लैंडमार्क)</i> :		वार्ड नंबर :	क्षेत्र / इलाका /	′ सेक्टर :			
	गांव/नगर/शहर :		डाकघर <i>(अनिवार्य)</i> :			पिन कोड <i>(अनिवार्य)</i> :		
	उप-जिला :		जिला :			राज्य :		
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रका		(i) पहचान का सबूत	(पीओआई) :				
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट		(ii) पते का सबूत <i>(पी</i>	ओए) :				
		नामाकन केंद्रा पर प्रदेशित "स्वाकाय" (iii) जन्म निर्ण का मनन (गिरीनी) लेलिका						
6	सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :							
			-			त दस्तावज :		
	(क) <i>एचओएफ</i> के ब्यौरे :	(i) माता	का नाम :	आधार				
				······································	र/या			
		(ii) पिता व	का नाम ·	;	आधार न	।बर :		

		(iii) यदि केवल एक मात	ता-पिता का ब्यौरा वि	ध्या 🔲 ह	ां			
		गया है, तो क्या अन	न्य माता-पिता वर्तमा	न				
		में बालक/बालिका	के साथ नहीं रह रहे है	¥. 2.				
	या							
	(iv) विधिक सरंक्षक का न	· •		आधार नंबर :				
	(v)   बालक/बालिका से संबंध :	ाता और/या	<u></u> पिता	या 🔲 वि	धिक सरंक्षक			
		र नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित ''स्वी	कार्य सहायक दस्तावेजों व					
					धित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं।			
					।।योमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-			
			`	•	ाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर 			
	न विरुद्ध देज पत का बाला 	क/बालिका के आधार नंबर और/या		म दजाकया जा П	Ų.			
	हस्ताक्षर: माता:	पिता :		। वेधिक सरंक्षक :				
7	अद्यतीकरण के लिए, अति	<del>ਹਿਤ</del> ਸਭਤਾ :	<u>'</u>	119 17 (1 (41 17 .				
<b>'</b>	-							
	(क) बालक/बालिका का व							
	(ख) अद्यतीकृत की जाने व		बायोमेट्रिक (फोटो	,				
	🔲 लिंग 🔲 पता	🔛 मोबाइल 🔙		<i>आई</i> और <i>पीओए</i>	र दस्तावेजों का अद्यतीकरण			
	. 3.	3 2 0	घोषणा					
		और घोषणा करती/करता/क	• • •					
	(क) प्रस्तुत की गई स	भी सूचना और दस्तावेज मे	रिी/हमारी सर्वोत्तम स	रूचना और विश् <u>व</u>	ास के अनुसार सही हैं;			
	(ख) मैं/हम और बाल	क/बालिका उपरोक्त दस्तावे	वेजों/सबूतों को साक्ष्यि	ात करने वाली स	ग्चनाओं के हकदार हैं; और			
	(ग) बालक/बालिका	भारत का/की निवासी (मेरे	नामांकन आवेदन के	ठीक पूर्ववर्ती 1	2 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में			
	निवासरत) है या वह	एक अनिवासी भारतीय (र	वैध भारतीय पासपोर्ट	धारक नागरिव	जो भारत का निवासी नहीं है) है।			
	2. मैं/हम समझती/समझ	नता/समझते हूँ/हैं कि यदि उ	उपरोक्त घोषणा गलत	पाई जाती है, त	ो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय			
	किया जा सकता है अ	गौर, इसके अतिरिक्त, मेरे/ह	मारे विरुद्ध विधि अन	।सार कार्रवाई र्व	ो जा सकती है।			
	~	~			`			
	`	• •	•		नुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान)			
	अधिनियम, 2016 उ	और उसके अंतर्गत बनाए ग	ए विनियमों के अनुस	गर उपरोक्त सूच	ना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती			
	है।							
	4. मैं/हम पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की							
	तैयारी या अनुरक्षण	के व्यवहारी प्राधिकारियों	के डेटाबेसों से अभि	प्राप्त करने और	उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी			
	एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति							
	देती/देता/देते हूँ/हैं।	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	44114111411 6161		 और/या	या				
	हस्ताक्षर :		जाराया पिता :		धेक सरंक्षक :			
	सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकत		1	तारीख और समय :			

### प्रपत्र 5 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनिवार्य या ऐच्छिक	
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

3	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		   (2)   कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द  (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ,	
		ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	
(ख)	जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या	(1)     कृपया जैसा लागू हो, <i>डीओबी</i> या आयु का ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
(-/	आयु	(2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का	
		निशान (✔) लगाएँ।	
		. (3) यदि जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ।	
		(4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्तूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा।	
		(5) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी)	
		या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार	
		कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(ঘ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	<i>एनआरआई</i> के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐच्छिक
		(2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई <i>एसएमएस / टेक्स्ट</i> संदेश	
		नहीं भेजा जाएगा।	
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
5		। अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	L
(ক)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है।	
		(3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं।	
		(4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन	
		कोड के आधार पर स्वत: प्रविष्ट किया जाएगा।	
		(5) <i>पीओए</i> दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है।	
		(6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	
		(7) यदि बालक/बालिका <i>एनआरआई</i> है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए	
		<i>पीओए</i> नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 6 का उपयोग करें।	
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	अनिवार्य
		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
		(3) <i>एनआरआई</i> बालक/बालिका के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य	
		पीओआई है।	
6		एफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्ताः -	
(ক)	<i>एचओएफ</i> के ब्यौरे	(1)   कृपया (i) और (ii)  में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2)   कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	
		(3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	
		(4)    कृपया (v) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	
		(5) <i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए,	
		<i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या	
		विधिक सरंक्षक होना चाहिए।	

(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज का प्रकार	(1)	दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरित्त	क सूचन	7:	
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपय	ा जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपय	ा एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

<sup>\*</sup> जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

#### प्रपत्र 6: आधार नामांकन और अद्यतीकरण भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष से कम आयु) के लिए कपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनदेशों का अनसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

	2-11-4-1-1-1-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			
1	प्रयोजन: नामांकन या	अद्यतन		
2	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए	केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :		
	(क) नाम :			
	{कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (ए।	लिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}		
	(ख) लिंग: 🗆 महिला	(ग) जन्म तिथि : वर्ष		
	🔲 पुरुष	सत्यापित या      घोषित या      अनुमानित (केवल आयु के लिए)		
	🔲 तृतीय लिंग / परलैंगिक	(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)		
	(ट्रांसजेंडर)			
	(घ) ईमेल :	(ङ) मोबाइल नंबर :		
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :	दस्तावेज सत्यापन या परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> द्वारा पुष्टि		
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकर	ण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
	(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)			
	(क) पता (वैध पासपोर्ट के अनुसार) :			
	·			
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार :	(i) पहचान का सबूत <i>(पीओआई) :</i> वैध भारतीय पासपोर्ट		
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और	(ii) पते का सबूत <i>(पीओए) :</i> वैध भारतीय पासपोर्ट		
	नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित ''स्वीकार्य	(iii) जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी) (ऐच्छिक)</i> :		
	सहायक दस्तावेजों की सूची'' देखें)	6		
5	<i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या पते वे	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
	<b>(क) एचओएफ के ब्यौरे</b> (i) माता	का नाम : आधार नंबर : 📗 📗 🔠		

	: और/या						
		(ii) पिता का नाम :	आध	ार नंबर : 🏻 🔻 🔻 🔻 🔻			
		(iii) यदि केवल एक माता या रि दिया गया है तो, दूसरा वर बालक/बालिका के साथ रह	मान में	_ हां			
		•	या				
	(iv) विधिक सरंक्षक का न	Пम:	आधार नं	बर : 🔲 📗 🔠			
	(v) बालक/बालिका से संबंध :	िता और/या ः	पिता या 🗀	विधिक सरंक्षक	••••		
	(ख) संबंध के सबूत के रूप	में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार : जामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित ''स्वीकार्य सह					
	मैं/हम ऊपर नामित बालक	/बालिका की पहचान और वह मुः	प्रसे/हमसे कथित अनुसार	र संबंधित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं की, बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-			
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	या जाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर	_		
	क विरुद्ध दर्ज पत का बाल	क/बालिका के आधार नंबर के विरु		या जाए।			
	हस्ताक्षर: माता:	और/या पिता :	या विधिक सरंध	अक:			
6	अद्यतीकरण के लिए, अति						
	(क) बालक/बालिका का अ		ПППП				
	(ख) अद्यतीकृत की जाने व		मिट्टिक (फोटो)	नाम 🔲 जन्म तिथि			
	<b>८</b> -, रचसर्हुस सर सर 	मोबाइल ईमे					
			घोषणा				
	4 13/200 002200 000 3	और घोषणा करती/करता/करते हूँ/	<del>}                                    </del>				
		आर वाषणा करता/करता/करत हू <i>।</i> भी सूचना और दस्तावेज मेरी/हम		विश्वास के अनुसार सदी हैं:			
		क/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सब					
				ारा सूचनाजा क हकपार है, जार पोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नही	Ė		
	है) है।		(19	ता अत्रार्थिता तार्थिता वार्थिता विभागता वहा			
	2. मैं/हम समझती/समझ	।ता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त	घोषणा गलत पाई जाती	। है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय	Γ		
	किया जा सकता है अं	गैर, इसके अतिरिक्त, मेरे/हमारे वि	रुद्ध विधि अनुसार कार्रव	गाई की जा सकती है।			
	] 3. मैं/हम समझती/समझ्	। ।ता/समझते हूँ/हैं कि आधार (विर्त्त	य और अन्य सहायिकिय	ों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान)	)		
	। अधिनियम, 2016 ३	और उसके अंतर्गत बनाए गए विन्	यिमों के अनुसार उपरोत्त	क सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती	ſ		
	ੈ है।		9				
	4. मैं/हम पहचान, पते,	जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमा	ण साक्ष्यित करने वाली	सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की	Γ		
	तैयारी या अनुरक्षण	के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेट	बेसों से अभिप्राप्त करने	और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी	r		
	एजेंसियों और/या वि	केसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्याप	न के प्रयोजन के लिए,	साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति	Γ		
	देती/देता/देते हूँ/हैं।			·			
		और/या		या			
	हस्ताक्षर :	माता: पिता:		विधिक सरंक्षक:			
	सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकर्ता का न	ाम :	तारीख और समय :			
<u> </u>	1	i					

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 नोट : इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 6 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
2	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2)    कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द  (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ	
		ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में उनका नाम हो।	
(ख)	जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या	(1)    कृपया जैसा लागू हो, <i>डीओबी</i> या आयु का ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
	आयु	(2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✔)	
		निशान लगाएँ।	
		(3) यदि जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो	
		"सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ।	
		(4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्तूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म	
		तिथि के लिए  जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा।	
		(5) यदि <i>पीडीबी</i> उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i>	
		या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार	
		कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	
(ग)	लिंग 	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(ঘ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	<i>एनआरआई</i> के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐ <del>च्</del> छिक
		(2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई <i>एसएमएस / टेक्स्ट</i> संदेश	
		नहीं भेजा जाएगा।	
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
4		। अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	
(क)	पता	्र (1)   वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार विवरण दर्ज करें।	अनिवार्य
		(2) आधार पत्र दर्ज पते पर भारतीय डाक के द्वारा भेजा जाएगा।	
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित	अनिवार्य
		"स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	
		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने	
		और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
		(3) <i>एनआरआई</i> के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य <i>पीओआई</i> और	
-	_	पीओए है।	
5		एफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज	
(क)	<i>एचओएफ</i> के ब्यौरे	(1) कृपया (i) और (ii) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2)   कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	
		(3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	
		(4)    कृपया (v) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	
		(5) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए,	
		्र एचओएफ  18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या	
		विधिक सरंक्षक होना चाहिए।	
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित	अनिवार्य
	<i>(पीओआर)</i> दस्तावेज का	"स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	
	प्रकार		

		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरित्त	<del>त सूचना</del> :	
(क)	बालक/बालिका का आधार	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
	नबर		
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
	सचना		

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	<ul> <li>(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क</li> <li>(ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]</li> </ul>
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

<sup>\*</sup> जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

नोट: आवेदक के विदेशी सहायकों को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसे शुल्क देय होंगे जो प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सकता है।

### प्रपत्र 7: आधार नामांकन और अद्यतीकरण निवासी विदेशी नागरिकों (18 वर्ष या अधिक आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन :			
2	राष्ट्रीयता :			
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :			
	(क) वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा : (i) पासपोर्ट नंबर :			
	(ii) पासपोर्ट की समाप्ति 🔲 📗 (DDMMYYYY) (iii) भारत में प्रवेश की 🔲 📗 (DDMMYYYY)			
	की तारीख :			
	और			
	(ख) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक <i>(ओसीआई)</i> का ब्यौरा : (i) <i>ओसीआई</i> नंबर :			
	(ii) <i>ओसीआई</i> कार्ड [] (DDMMYYYY) (iii) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर :			
	जारी होने की तारीख :			
	या			
	(ग) वैध दीर्घकालिक वीजा <i>(एलटीवी )</i> का ब्यौरा : (i) <i>एलटीवी</i> नंबर :			
	(ii) एलटीवी जारी होने DMMYYYY) (iii) एलटीवी DDMMYYYY)			
	की तारीख : समाप्ति की तारीख :			
या				
	(घ) वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा : (i) वीजा प्रकार/श्रेणी (ii) जारी करने की [] (DDMMYYYY)			
	: तारीख:			
	(iii) समाप्ति की DMMYYYY) (iv) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण			
	तारीख:			

	या, विदेशी पासपोर्ट सहित ओसीआई/एलटीवी /वीजा के विकल्प में, केवल नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए :				
	(ङ) प्रस्तुत किए गए दो पहचान के सबू	त <i>(पीओआई)</i> दस्तावेजों के प्रका	र:		
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित " स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची " देखें )				
	(i) पहला <i>पीओआई</i> दस्तावेज :				
4	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए	ए, कृपया केवल वही सूचना भरें जिसे अद	पतन किया जाना है):		
	(क) नाम : {कृपया किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}				
	(ख) लिंग: पिहला	(ग) जन्म तिथि :		DMMYYYY) या <b>आयु</b> : 🎞 वर्ष	
	पुरुष	सत्यापित या	घोषित या 🏻	🔲 अनुमानित ( <i>केवल आयु के लिए</i> )	
	तृतीय लिंग / परलैंगिक <i>(ट्रांसजेंडर)</i>	(घोषित या अनुमानित के लिए, आध	गर कार्ड पर केवल घोषि	भेत/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)	
	(घ) ईमेल (अनिवार्य):		(ङ) मोबा	इल नंबर :	
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :	🔲 दस्तावेज सत्यापन	या 🔲 प	रिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> द्वारा पुष्टि	
6	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकर	-	कीय सूचना और प्र	स्तुत दस्तावेज :	
	(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यती	करण के मामले में भरी जानी चाहिए)			
	(क) पता : द्वारा <i>(ऐच्छिक)</i> :				
	मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट :		सड़क :		
	भूमि-चिन्ह <i>(लैंडमार्क)</i> :	वार्ड नंबर :	क्षेत्र / इलाका /		
	गांव/नगर/शहर :	डाकघर <i>(अनिवार्य</i> ) :		पिन कोड <i>(अनिवार्य )</i> : 💷 💷	
	उप-जिला :	जिला :		राज्य :	
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार :	(i) पहचान का सबूत <i>(पीओआइ</i>	हचान का सबूत <i>(पीओआई) :</i>		
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और	(ii) पते का सबूत <i>(पीओए) :</i>	(ii) पते का सबूत <i>(पीओए) :</i>		
	नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित ''स्वीकार्य	(iii) जन्म तिथि का सबूत <i>(पीर्ड</i>	ोबी) (ऐच्छिक) :		
7	सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) एचओएफ- आधारित नामांकन या पते	के थटानीकरण के लिए। थनिरिक	. यचना और प्रस्त	र ट्रानोज •	
<b>'</b>	(क) एचओएफ का (i) नाम :	म जबतामर्थं म । संदु, जातारत	आधार नंबर :		
	ब्यौरा:		आवार गंबर .		
		गता □िपता □	 ]िविधिक सरंक्षक		
	अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण व		_	) 🏻 भाई या बहन	
	(ख) संबंध के सबूत (पीओए) के रूप में				
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों	•	ों की सूची " देखें)		
				पृष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति	
	देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरु	द्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार	: नंबर के विरुद्ध परे	ने के रूप में दर्ज किया जाए।	
	एचओएफ के हस्ताक्षर :				
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :				
	(क) आवेदक का आधार नंबर :				
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :   बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें)  नाम  जनम तिथि				
	लिंग पता	मोबाइलईमेल <b>घोषणा</b>	<i>े पीओआई</i> और <i>पे</i>	<i>ीओए</i> दस्तावेजों का अद्यतीकरण	
1.	मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/क				
'	<ul><li>(क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और द</li></ul>	**	र विश्वास के अनम	ार सदी हैं:	
	. , ,	•	Č		
	(ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को	। सा।क्ष्यत करन वाला सूचनाओं व	का/का हकदार हू; ३	भार	

- (ग) मैं एक निवासी विदेशी नागरिक (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) हैं।
- 2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- 3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।
- 4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हैं।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	आवेदक के हस्ताक्षर/
	अंगूठे की छाप* :
सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

#### प्रपत्र 7 भरने के अनुदेश

क्र.सं.	वस्तु	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
2	राष्ट्रीयता	कृपया ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन	ा में प्रस्तुत दस्तावेज :	
(क)	वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	(क) के साथ (ख),
(ख)	वैध <i>ओसीआई</i> कार्ड का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	(ग) या (घ),
(ग)	वैध <i>एलटीवी</i> का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	या
(ঘ)	वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	नेपाल और भूटान
(ङ)	प्रस्तुत किए गए 2 <i>पीओआई</i>	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	के नागरिकों के
	दस्तावेजों के प्रकार		लिए, (ङ)
	जनसांख्यिकीय सूचना :		ये अनिवार्य है
4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द <i>(मिस्टर</i> , सुश्री <i>/मिज़, मिसेज़</i> , श्री, श्रीमती, कुमारी, थिरु, थिरुमति आदि),	
		सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/ <i>जस्टिस</i> , रक्षा सेवा रैंक, <i>ऐक्लिसिआस्टिकल</i> उपाधि आदि),	
		पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य	
		नाम / एलिअस (उर्फ़, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	
(ख)	जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या आयु	(1)    कृपया जैसा लागू हो, <i>डीओबी</i> या आयु का ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
		(2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✔) निशान लगाऍ।	
		(3) यदि जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का	
		निशान लगाएँ।	
		(4) यदि <i>पीडीबी</i> उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या अनुमानित आयु दे	
		सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(ঘ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य

<sup>\*</sup> यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमित देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

(ङ)	मोबाइल नंबर	(1)	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐच्छिक
		(2)	गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई <i>एसएमएस/टेक्स्ट</i> संदेश नहीं भेजा जाएगा।	
5	नामांकन/अद्यतीकरण का	कृपया	केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
	आधार			
6	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अ	द्यतीकर	ण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	
(क)	पता	(1)	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		' '	पते में ''द्वारा'' के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं	
			है।	
		` '	पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं।	
		` '	ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर	
			स्वत: प्रविष्ट किया जाएगा।	
		(5)	पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है।	
		(6)	आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार	' '	दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	अनिवार्य
			मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध	
			सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
7			अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	
(क)	<i>एचओएफ</i> का ब्यौरा	(1)	कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2)	कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	
		(3)	<i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, <i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या	
			अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक सरंक्षक होना चाहिए।	
		(4)	<i>एचओएफ</i> -आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए, <i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक	
			का माता, पिता, विधिक सरंक्षक, पति या पत्नी, संतान / प्रतिपाल्य <i>(वार्ड)</i> या भाई या बहन होना	
			चाहिए।	
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज का प्रकार	' '	दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	अनिवार्य
			मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध	
		(-)	सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त	सूचना :	·	l
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया	जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	सूचना अद्यतीकृत की जाए	कृपया	 एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
		_		

क्र.सं.	सेवा	फीस
1	नामांकन	₹ [*]
2	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	₹ [*]
3	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]
4	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

<sup>\*</sup> जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

### प्रपत्र 8: आधार नामांकन और अद्यतीकरण निवासी विदेशी नागरिकों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए

1	प्रयोजन: नामांकन	या 🔲 अद्यतन				
2	राष्ट्रीयता:					
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्	 तुत दस्तावेज :				
	(क) वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा :	(i) पासपोर्ट नंबर :				
	(ii) पासपोर्ट समाप्ति की 🏻 🔻 🗎	DDMMYYYY)	(iii) भारत में प्रवेश की	(DDMMYYYY)		
	तारीख :		तारीख :			
और						
(ख) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक <i>(ओसीआई)</i> कार्ड का ब्यौरा : (i) <i>ओसीआई</i> नंबर :						
(ii) <i>ओसीआई</i> कार्ड						
	जारी होने की तारीख :					
			<u>या</u>			
	(ग) वैध दीर्घकालिक वीजा <i>(एलटीवी )</i>	का ब्यौरा : (i) एलटीवी				
	(ii) <i>एलटीवी</i> जारी		(iii) <i>एलटीवी</i> समाप्ति की			
	होने की तारीख : (D	DMMYYYY)	तारीख :	(DDMMYYYY)		
			या			
	(घ) वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा :	(i) वीजा प्रकार/श्रेणी :	(ii) जारी करने की	[   DDMMYYYY)		
			तारीख :			
	(iii) समाप्ति की 📙 📗	'	iv) ई-एफआरआरओ			
	तारीख:	i	जिस्ट्रीकरण नंबर :			
			विकल्प के रूप में, केवल नेपाल औ	र भूटान के नागरिका के लिए :		
	(ङ) प्रस्तुत किए गए दो पहचान सबूत	•				
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों	पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक व				
	(i) पहला <i>पीओआई</i> दस्तावेज :		(ii) दूसरा <i>पीओआई</i> दस्ता	वर्ज :		
4	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लि	ए, कृपया केवल वहीं सूचना भरे।	जिसे अद्यतन किया जाना है):			
	(क) नाम :	_	s >_ >: O:			
	{कृपया किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य ना					
	<b>(ख) लिंग :</b>	(ग) जन्म तिथि : —	(DL	DMMYYYY) या <b>आयु</b> : ☐☐☐		
	ि पुरुष तृतीय लिंग / परलैंगिक <i>(ट्रांसजें</i> ड	वर्ष इर) ि सम्बद्धाः स	·			
		"		└── अनुमानित <i>(केवल आयु के लिए )</i> ग⁄अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)		
	<b>(घ) ईमेल</b> ( <i>अनिवार्य</i> ) :	(यापत या अतुमागत क	(ङ) मोबाइल			
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार :	दस्तावेज सत्याप		ग <b>र</b> े: <u>प्रचओएफ)</u> द्वारा पृष्टि		
	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीक					
	(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यती					
	<b>(क) पता :</b> द्वारा <i>(ऐच्छिक)</i> :					
	मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट : सड़क :					
	भूमि-चिन्ह <i>(लैंडमार्क)</i> :	वार्ड नंबर :	क्षेत्र / इलाका / सेक	टर :		
	गांव/नगर/शहर :	डाकघर <i>(अनिवार्य</i>		पिन कोड <i>(अनिवार्य)</i> :		
	उप-जिला :	जिला :		 राज्य :		
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार :	(i) पहचान का सबूत <i>(पी</i>				
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और	(ii) पते का सबूत <i>(पीओ</i> ए	-			
	1 et	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	>/			

	नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित ''स्वीकार्य (iii) जन्म तिथि क सहायक दस्तावेजों की सूची'' देखें)	ा सबूत <i>(पीडीबी) (ऐच्छिक)</i> :		
7	<i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लि	पए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
	(क) <i>एचओएफ</i> का (i) नाम : ब्यौरा :	आधार नंबर :		
ŀ	(ii) बालक/बालिका से संबंध :	□ पिता □ विधिक सरंक्षक		
	(ख) संबंध के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के	प्रकार :		
	् (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित " स्वीकार्य र	महायक दस्तावेजों की सूची " देखें)		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ने कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति कि/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी		
	बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने	•		
	एचओएफ के			
	हस्ताक्षर : अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :			
ŀ	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :			
ŀ		 क (फोटो, अंगुलियों की छाप और <i>आइरिसें)</i>		
	लिंग पता मोबाइल [	ईमेल <i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> दस्तावेजों का अद्यतीकरण		
		घोषणा		
	*			
1.	मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि—			
	(क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्त			
	(ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों के	•		
	(ग) बालिका/बालक एक निवासी विदेशी नागरिक (मेरे में निवासरत) है।	नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत		
2.	मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत प	ाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है		
	और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई	की जा सकती है।		
3.	मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सह	हायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016		
	और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरो	क्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।		
4.	मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण सार्ग	क्ष्यत करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या		
	अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/य			
	किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।			
सत्य	गपनकर्ता के हस्ताक्षर :	माता, पिता या विधिक सरंक्षक		
		के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :		
सत्य	गपनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :		

### प्रपत्र 8 भरने के अनुदेश

3	क्र.सं.	वस्तु	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
	1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

2	राष्ट्रीयता	कृपया व्यौरा भरें।	अनिवार्य
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन	- । में प्रस्तुत दस्तावेज :	
(क)	वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	(क) के साथ (ख),
(ख)	वैध <i>ओसीआई</i> कार्ड का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, व्यौरे भरें।	(ग) या (घ),
(ग)	वैध <i>एलटीवी</i> का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, व्यौरे भरें।	या
(ঘ)	वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, व्यौरे भरें।	नेपाल और भूटान
(ङ)	प्रस्तुत किए गए 2 <i>पीओआई</i>	कृपया जैसा लागू हो, व्यौरे भरें।	के नागरिकों के
	दस्तावेजों के प्रकार		लिए, (ङ)
	.0. 0		ये अनिवार्य है
4	जनसांख्यिकीय सूचना :	Г	1 6 1
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द <i>(ऐक्लिसिआस्टिकल</i> उपाधि	
		आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो ।	
(ख)	जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या आयु	(1)    कृपया जैसा लागू हो, <i>डीओबी</i> या आयु का ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
		   (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक  पर (✔) निशान लगाएँ।	
		(3) यदि जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का	
		निशान लगाएँ।	
		(4) यदि <i>पीडीबी</i> उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> या अनुमानित आयु दे	
		सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	
(ग)	लिंग	कृपया, जैसा लागू हो, केवल एक पर ( ✔ ) का निशान लगाऍ।	अनिवार्य
(ঘ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ऐच्छिक
		(2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई <i>एसएमएस/टेक्स्ट</i> संदेश नहीं भेजा जाएगा।	
5	नामांकन/अद्यतीकरण का	कृपया, जैसा लागू हो, केवल एक पर ( ✔ ) का निशान लगाऍ।	अनिवार्य
	आधार		
6		द्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	· 0
(ক)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
		(2) पते में ''द्वारा'' के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है।	
		(3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं।	
		(4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वत:	
		प्रविष्ट किया जाएगा।	
		(5) <i>पीओए</i> दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है।	
	2 %	(6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	0 ,
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक	अनिवार्य
		दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	
		<ul><li>(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।</li></ul>	
7	गन्त्रथोगफ-अशारित नामांकन र		
· (क)	<i>एचओएफ</i> का ब्यौरा	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
( '')		(2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	
		(3) <i>एचओएफ</i> -आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, <i>एचओएफ</i> 18 वर्ष या	
/ <del></del> \	प्रस्तुत संबंध का सबूत	अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक सरंक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत सबध का सबूत <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार <i>यूआईडीएआई</i> की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	जागपाय
		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध	
		(८) मूल दस्तावज प्रस्तुत करना आनवाय हा इस एक इलक्ट्रानिक प्रातालाप बनान आर मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त		1
		6	

	नंबर		
(ख)	सूचना अद्यतीकृत की जाए	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

क्र. सं.	सेवा	फीस
1	नामांकन	₹ [*]
2	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	₹ [*]
	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख)  यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]
4	<i>पीओआई</i> और <i>पीओए</i> दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

<sup>\*</sup> जैसा कि *यूआईडीएआई* द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

### अनुसूची-॥

[विनियम 10(2) और 19(4) देखें]

	नामाकन और अद्यतीकरण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजी की सूची				
प	पांच वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए				
	जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची				
	✔ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है				
नामांकन प्रकार I : परिवार का मुखिया <i>(एचओएफ)</i> आधारित नामांकन					
<b>-</b> #	दस्तावेजों की सूची (इस वालिकाबन्द ब्यौरे के तीचे तोट देखें)	बालक/बालिका के नाम और परिवार के	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म		

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> के नाम से युक्त संबंध का सबूत <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> दस्तावेज
1.	जन्म और मुत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत	✓	<b>√</b>
	और उसके अंतर्गत बनाये नियमों के अनुसार अधिकृत		
	प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र		
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट (केवल <i>एनआरआई</i> के लिए लागू)	✓	✓
3.	विधिक संरक्षकता साबित करने के लिए दस्तावेज	1	Х

#### नामांकन प्रकार II : दस्तावेज आधारित नामांकन

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत <i>(पीओआई)</i> दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत <i>(पीओए)</i> दस्तावेज
4.	अधीक्षक/ <i>वार्डन</i> /मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा <i>यूआईडीएआई</i> के मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र (केवल आश्रय ग्रह या अनाथालय से संबंधित बालकों/बालिकाओं के लिए)।	1	✓

भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपाल और भूटान नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज

5.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध <i>ओसीआई</i> कार्ड, उन निवासियों के लिए जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12	✓	X*
	महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हों।		
6.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक	✓	X*
	समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को जारी		
	किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ		
	वैध दीर्घकालिक वीजा <i>(एलटीवी )</i> दस्तावेज।		
7.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध	✓	<b>X</b> *
	वीजा जारी किया जाता है, जो नामांकन आवेदन के ठीक		
	पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में		
	निवासरत हों।		
8.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट।	✓	X*
	पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, निम्नलिखित दोनों		
	दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :		
	(क) नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र		
	(ख) 182 या अधिक दिनों भारत में निवासरत के लिए, भारत		
	नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित		
	वैधता फोटो पहचान प्रमाण-पत्र		

<sup>\*</sup> आधार नामांकन (पांच वर्ष से अधिक) के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची में पते का सबूत के रूप में दस्तावेज लागू होंगे।

नोट: उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो,

#### नामत: —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

#### महत्वपूर्ण नोट :

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय *(एनआरआई)* के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
- (ग) *एचओएफ* आधारित नामांकन करने से पूर्व *एचओएफ* के पास वैध आधार होना चाहिए।
- (घ) *एचओएफ* आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- (ङ) *पीओआर द*स्तावेज में बालक/बालिका और एचओएफ के नाम उल्लेख होना चाहिए।
- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।

- (ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अविध तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अविध के लिए वैध होगा।
- (झ) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा I
- (ट) *एचओएफ* को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के सबूत *(पीओआई)* निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-
  - (i) भारतीय पासपोर्ट
  - (ii) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
  - (iii) केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
  - (iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

### पांच वर्ष या उससे से अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची

√ का अर्थ स्वीकार्य है 

X का अर्थ अस्वीकार्य है

▼ का अब (बाकाब ह <b>रा</b> का अब अर्बाकाब ह							
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत <i>(पीओए)</i> दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> के नाम से युक्त संबंध का सबूत <i>(पीओआर)</i> दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> दस्तावेज		
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓		
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X		
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ ई-राशन कार्ड	<b>√</b>	1	1	X		
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई- मतदाता पहचान पत्र	✓	1	X	X		
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	X		
6.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	<b>√</b>	X	X	✓		
7.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	X	1	1		

8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार /	✓	×	×	X
	पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस /				
	ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड				
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम,	✓	<b>✓</b>	X	Х
	2017 के अंतर्गत जारी				
	दिव्यांगता पहचान पत्र /				
40	दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र केंद्र सरकार / राज्य सरकार			,	
10.	द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र /	✓	<b>7</b>	<b>•</b>	X
	फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे				
	भामाशाह, अधिवास प्रमाण-				
	पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जन-				
	आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब				
	कार्ड, लेबर कार्ड आदि।				
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	×
	द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति /				
	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।				
12.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम	✓	X	✓	✓
	द्वारा स्थापित मान्यता-प्राप्त				
	शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद् विश्वविद्यालय या				
	उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा				
	जारी मार्क-शीट / प्रमाण-पत्र				
13.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	<b>√</b>	<b>√</b>	x	Х
	(आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी				
	और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त				
	पासबुक तथा प्रभारी शाखा				
	प्रबंधक से एक सहायक प्रमाण-				
	पत्र सहित, जिसमें यह				
	प्रमाणित किया जाए कि				
	खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और				
	पते के लिए पते का सबूत है।				
	पासबुक में दर्शाये गए पते के				
	संबंध में पते का सबूत बैंक के				
14.	अभिलेख में उपलब्ध है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का		,	,	,
14.	संरक्षण) अधिनियम, 2019 के	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
	अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर				
	पहचान कार्ड/ प्रमाण-पत्र				
15.	<i>यूआईडीएआई</i> मानक प्रमाण-				
	पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण- पत्र:				
	1 , ,,				

	सांसद/विधायक/	X	1	Х	Х
	एमएलसी/नगर पार्षद्	,	·	,	,
	राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/	×	✓	X	Х
	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन				
	(ईपीएफओ) अधिकारी				
	तहसीलदार/ राजपत्रित	×	✓	X	X
	अधिकारी समूह 'बी'				
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन	✓	✓	X	Х
	(नाको) / राज्य स्वास्थ्य				
	विभाग अधिकारी / राज्य				
	एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके				
	नामांकित के राजपत्रित				
	(आपराधिक अपील संख्या				
	,				
	135/2010 में दिनांक				
	19.05.2022 को माननीय				
	सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के				
	अनुसरण में) अधीक्षक <i>। वार्डन ।</i> मैट्रन <i>।</i>	_	_		.,
	अधाक्षक <i>। वाडन ।</i> मट्रन <i>।</i> मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या	✓	✓	X	X
	अनाथालयों की संस्था के प्रमुख				
	(केवल आश्रय गृह या				
	अनाथालय से संबंधित				
	बालकों/बालिकाओं के लिए)				
	संस्थान के प्रमुख द्वारा	×	✓	X	X
	हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त				
	शैक्षणिक संस्थान (केवल				
	संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)				
	ग्राम पंचायत प्रधान या	X		X	
	मुखिया या इसके समकक्ष	^	<b>,</b>	^	X
	प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के				
	लिए), ग्राम पंचायत सचिव या				
	ग्राम राजस्व अधिकारी या				
	समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)				
16.	बिजली का बिल	X	✓	X	Х
	(प्रीपेड/पोस्टपेड बिल,				
	अधिकतम 3 महीने पुराना हो)				
17.	पानी का बिल् (अधिकतम 3	X	✓	X	Х
	महीने पुराना हो)				
18.	टेलीफोन लैंडलाइन	X	✓	X	X
	बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम				
	। बल/ब्राडबंड । बल (आधकतम 3 महीने पुराना हो)				
	1 2 3613 3/131 61)		1		

	THE GREET FOR THEM. EATHER ORDINARY [FAMALIER SEC. 1]						
19.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख/ पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार।	Х		<b>√</b>	X	X	
20.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीनों से पुराना न हो)	Х		✓	X	X	
21.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X		<b>√</b>	X	X	
22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	Х		1	Х	Х	
23.	जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X		Х	✓	1	
24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	X		X	✓	×	
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓		1	Х	х	
26.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	Х		Х	✓	X	
भारत वे	भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपाल और भूटान नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज						
27.	निवासी जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध <i>ओसीआई</i> कार्ड		✓	Х	Х	Х	
28.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और प के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात पारसी और ईसाइयों को जान (एलटीवी) दस्तावेज सहित वैधता समाप्त)	त् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, री वैध दीर्घकालिक वीजा	<b>√</b>	1	Х	X	

					_
29.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का वैध पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- (क) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सबूत पत्र	•	X	X	X
30.	जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत अन्य निवासी विदेशी नागरिकों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	•	X	X	X
31.	निवासी विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी क्षेत्रीय रिजस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) / विदेशी रिजस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परिमट (ओसीआई कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	X	•	Х	Х

नोट: उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो,

#### नामत: —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या *यूआईडीएआई* को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

#### महत्वपूर्ण लेख:

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
- (ग) *एचओएफ* आधारित नामांकन करने से पूर्व *एचओएफ* के पास वैध आधार होना चाहिए।
- (घ) *एचओएफ* आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्टिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- (ङ) *पीओआर* दस्तावेज में बालक/बालिका और *एचओएफ* के नाम उल्लेख होना चाहिए।
- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (छ) *एचओएफ* के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।
- (ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अविध तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अविध के लिए वैध होगा।
- (झ) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा I
- (ट) *एचओएफ* को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के सबूत *(पीओआई)* निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-
  - (i) भारतीय पासपोर्ट
  - (ii) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
  - (iii) केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
  - (iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र I

### किसी भी आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत <i>(पीओए)</i> दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत <i>(पीडीबी)</i> दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	<b>√</b>	✓	<b>√</b> *
2.	पैन कार्ड / ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X
3.	राशन / पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड / ई- राशन कार्ड	✓	<b>√</b>	✓	Х
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है।	•	<b>✓</b>	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	1	Х	Х	Х
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	1	Х	Х	<b>√</b> *

7.	केंद्र सरकार द्वारा जारी /राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय /	1	x	✓	<b>√</b> *
	सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो				
	पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो				
	पहचान पत्र / पेंशन  भुगतान आदेश				
8.	किसान फोटो पासबुक	✓	✓	X	Х
9.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X	X
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के	✓	✓	X	Х
	अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र				
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण- पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	1	✓	1	Х
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त / बिना फोटो का विवाह प्रमाण-पत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाण- पत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित <i>पीओआई</i> दस्तावेज की आवश्यकता है)	✓	✓	✓	X
13.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाण-पत्र।	1	1	1	х
14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी)	✓	x	X	x
15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाण- पत्र	1	Х	1	<b>√</b> *
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाण-पत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	•	✓	X	X

17.	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई	Х	1	X	×
	द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें				
	नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित				
	क्रॉस स्टैम्प्) हो तथा बैंक अधिकारी के				
	हस्ताक्षर हो / डाकघर की बचत खाता				
	पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी				
40	की मुहर सहित) बैंक खाता विवरण / क्रेडिट कार्ड विवरण		,		.,
18.	(जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर	X	<b>7</b>	X	X
	और बैंक स्टेम्प सहित) / डाकघर बचत				
	खाता विवरण (डाकघर के जरीकर्ता				
	अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3				
	महीने से अधिक पुराना नहीं)				
19.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण)	./	1	1	<b>√</b> *
13.	अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी	•		•	
	ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड / प्रमाण-पत्र				
20	्रासजंबर पहुँचान काड / प्रमाण-पत्र यूआईडीएआई मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप				
20.	पर जारी प्रमाण-पत्र:				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर	Х	1	Х	Х
	पार्षद				
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/	X	✓	Х	Х
	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन				
	(ईपीएफओ) अधिकारी				
	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित अधिकारी	X	✓	X	X
	समूह 'बी'				
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन	1	✓	Х	Х
	(नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग				
	्र अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण				
	सोसायटी के परियोजना निदेशक या				
	उनके नामांकित के राजपत्रित				
	(माननीय सर्वोच्च न्यायालय का				
	फैसला आपराधिक अपील संख्या				
	135/2010 में दिनांक				
	19.05.2022 के अनुसरण में)				
	(v) अधीक्षक <i>  वार्डन  </i> मैट्रन / मान्यता-	<b>√</b>	1	Х	Х
	प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों	•			
	की संस्था के प्रमुख (केवल				
	बालकों/बालिकाओं के लिए संबंधित				
	आश्रय ग्रह या अनाथालय)				
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित	X	✓	X	X
	मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान				
	(केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के				
	लिए)				

	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या	X	✓	Х	Х
	इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण				
	क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव				
	या ग्राम राजस्व अधिकारी या				
	समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)				
21.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल,	X	✓	X	X
	अधिकतम 3 महीने पुराना हो)				
22.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना	X	✓	X	X
	हो)				
23.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड	X	✓	X	X
	मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3				
0.4	महीने पुराना हो) संपत्ति कर रसीद (अधिकतम 1 वर्ष पुराना			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
24.	संपात कर रसाद (आवकतम । यय पुराना   हो )	X	<b>7</b>	X	X
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध / पंजीयक	X	1	X	Х
	कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख /				
	पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार /				
	पट्टा करार / अवकाश और लाइसेंस करार				
26.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने	X	✓	X	×
	पुराना हो)				
27.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू /	X	✓	X	X
	नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1				
	वर्ष पुराना हो)				
28.	जीवन / चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी	X	1	Х	Х
20.	जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	X	•	X	
29.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,	X	Х	1	1
	1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम	^		·	
	के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी				
	क अंतर्गत आवकृत प्राावकारा द्वारा जारा जन्म प्रमाण-पत्र				
30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी	X	Х	./	Х
30.	किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	^	^	·	^
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर	1	1	Х	Х
	सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश			-	-
	दस्तावेज <i>(पीआईडी)</i>				
32.	परिवार के मुखिया <i>(एचओएफ)</i> यह	X	×	✓	×
	प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा कि वह				
	व्यक्ति <i>एचओएफ</i> के साथ उसी पते पर रह				
	रहा है, केवल <i>एचओएफ</i> के पते के मामले				
	में वैध (केवल एचओएफ के इमिडिएट				
	परिवार के सदस्य/सदस्यों के पते के				
	अद्यतीकरण के संबंध में उपयोग हेतु)			_	
33.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए	X	×	✓	X
2	दस्तावेज इ.स.च्डे १९२२ विकेशी समाधिकों (ओपीआई)(ओर	 	 	 	 
भारत व	h कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेप	।।ल आर भूटान नागारका ।	जार ।नवासा ।वदशा ।	। नागारकाकाल एल -	ागू दस्तावज -
34.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध <i>ओसीआई</i>	✓	×	X	×
	कार्ड				

====	THE GAZETTE OF INDIA : EATRAORDINARY [FART III—SEC.4]					
35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान	✓	✓	Х	Х	
	के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों					
	अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और					
	ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा					
	(एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी					
	पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)					
36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए	✓	X	×	X	
	नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट					
	उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित					
	में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले					
	प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-					
	(क) नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाण-					
	पत्र					
	(ख) नेपाल / भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र					
	(ग) भारत में नेपाली मिशन / रॉयल					
	भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र					
37.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी	✓	X	X	X	
	पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया					
	जाता है					
38.	विदेशी नागरिक को विदेशी क्षेत्रीय	X	✓	X	X	
	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) /					
	विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
	(एफआरओ) द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रीकरण					
	प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट					
	( <i>ओसीआई</i> कार्ड धारकों, <i>एलटीवी</i>					
	दस्तावेज धारकों और नेपाल / भूटान					
	नागरिकों को छोड़कर)					
नाम, वि	लेंग और जन्म तिथि <i>(डीओबी)</i> के अपवादात्मक	मामलों के लिए लागू दस्	तावेज			
39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के	1	Х	Х	Х	
33.	लिए : नए नाम की राजपत्र अधिसूचना,	<b>~</b>				
	फोटो सहित पुराने नाम के किसी					
	समर्थनकारी <i>पीओआई</i> दस्तावेज					
	(पहले/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक					
	की डिक्री / गोद लेने का प्रमाण-पत्र /					
	विवाह प्रमाण-पत्र के सहित					
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के	✓	X	X	X	
	लिए : यदि निवासी ने सर्जरी द्वारा लिंग बदला है तो सर्जन से चिकित्सा प्रमाण-पत्र					
44	जन्म तिथि परिवर्तन के अपवादात्मक	V	<b>Y</b>	<b>Y</b>		
41.	मामलों के लिए : जन्म और मृत्यु पंजीकरण	X	Х	X	✓	
	अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत					
	बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत					
	प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र					

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या *यूआईडीएआई* को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

# महत्वपूर्ण लेख:

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ख) \* 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की जन्म तिथि अद्यतीकरण के लिए संबंधित राज्यों के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ग) एक दस्तावेज को पहचान के सबूत *(पीओआई)* दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।
- (घ) एक दस्तावेज को पते के सबूत *(पीओए)* दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।
- (ङ) एक दस्तावेज को पहचान का सबूत *(पीओआई)* और पते का सबूत *(पीओए)* दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।
- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) *पीओआई, पीओए* और *पीडीबी* दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते है
- (ज) *पीओआई* और *पीओए* दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।
- (झ) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।
- (ञ) *एचओएफ* के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।
- (ट) बालक/बालिका (0-5 वर्ष) के मामले में आधार में नाम "बेबी ऑफ..." है तो, पहली बार पूर्ण नाम अद्यतन के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की अनुमित दी जाएगी, जो उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाएगा।
- (ঠ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए आधार अपडेट केवल आधार वयस्क नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।
- (ड) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अविध के लिए वैध होगा।
- (ढ) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ण) *एलटीवी* दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल *एलटीवी* दस्तावेज की वैधता तक वैध होगा।
- (त) जन्म तिथि परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा देखें [\*]
- (थ) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें [\*]
- (द) अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया *यूआईडीएआई* क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित पड़ताल के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।

(ध) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर) ;"; और

# अनुसूची-VI

[ विनियम 27(1) (सी) *देखें ]* 

# प्रपत्र 9: 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार नंबर रद्द करने के लिए आधार नंबर धारक द्वारा आवेदन

1.	आधार नंबर या ईआईडी नंबर	
2.	नाम	
3.	लिंग निंग	
4.	माता-पिता/विधिक सरंक्षक का नाम	
5.	पता	
6.	जन्म की तारीख	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	प्रमाणीकरण के लिए एक क्षेत्रीय	
	कार्यालय का विकल्प* (कृपया	
	   दिल्ली/चंडीगढ़/मुंबई/लखनऊ/	
	   हैदराबाद/गुवाहाटी/रांची/ बेंगलुरु में	
	से किसी एक को चुनें)	
9.	घोषणा	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान)
		अधिनियम, 2016 की धारा 3क की उप-धारा (2) के संदर्भ में, मैं घोषणा करता/करती हूँ
		कि मैं अपना आधार नंबर रद्द कराना चाहता/चाहती हूँ। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि
		ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य, सही और सटीक हैं और मेरे बारे में हैं। मैं यह भी पुष्टि
		करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के छह महीने के भीतर कर रहा/रही हूँ।
		19 1971197
	•	
	स्थान	
	तारीख	
L	l	

<sup>\*</sup> आवेदन भेजने और उसके बाद प्रमाणीकरण के लिए निवासी द्वारा जिन क्षेत्रीय कार्यालयों को चुना जाना है, उनका ब्यौरा *यूआईडीएआई* की आधिकारिक वेबसाइट यानि www.uidai.gov.in पर दिया गया है।"

सलिल कुमार, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./699/2023-24]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 14 सितंबर, 2016 में, अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/लीगल/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 2), दिनांक 12 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022-लीगल-एचक्यू (ई), दिनांक 29 सितंबर, 2023 (3 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

# UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2024

- **F. No. HQ-16016/1/2023-EU-I-HQ** (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) Amendment Regulations, 2024
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),—
  - (a) after clause (fa), the following clauses shall be inserted, namely:—
    - '(fb) "electronic form" shall have the same meaning as is assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);'; and
  - (b) in clause (k), the words "or update of his demographic information or biometric information" shall be omitted.
- 3. In the principal regulations, for regulation 11, the following regulation shall be substituted, namely:—
- "11. COLLECTION OF INFORMATION AT ENROLMENT CENTRE.—(1) THE OPERATOR SHALL CAPTURE—
  - A. THE DEMOGRAPHIC INFORMATION AS SUBMITTED BY THE INDIVIDUAL SEEKING TO ENROL IN THE APPLICATION FORM SET OUT IN SCHEDULE I; AND
  - B. THE BIOMETRIC INFORMATION USING ONLY SUCH SOFTWARE AS IS PROVIDED OR APPROVED BY THE AUTHORITY.
- (2) UPON PRESENTATION OF ONE OR MORE DOCUMENTS EVIDENCING THE PROOFS REFERRED TO IN CLAUSE (A) OF SUB-REGULATION (1) OF REGULATION 10, THE OPERATOR SHALL—
  - (a) make a copy in electronic form of every such document;
  - (b) give the individual seeking to enrol an opportunity to check the accuracy of the information captured under sub-regulation (1) and the copy referred to in clause (a) and shall, after such checking, upload such information and copy to the CIDR;
  - (c) not make or store a copy of any such document in physical or electronic form, save in accordance with—
    - (i) clause (b); or
    - (ii) the provisions contained in any other regulations made under the Act or any policy, procedure, guideline, order, process, standard, specification or other document issued by the Authority;
  - (d) return such documents; and
  - (e) provide the individual seeking to enrol an acknowledgement containing the EID and other enrolment details.
- (3) the procedures, processes, standards and guidelines to be followed during the enrolment process, and the forms, templates and checklists to be used for carrying out the same, shall be such as the authority may specify in this behalf.".
- **4.** In the principal regulations, for regulation 16A, the following regulation shall be substituted, namely:—
  - "16A. Update of documents or information.—An Aadhaar number holder may, on completion of every period of 10 years from the date of generation of the Aadhaar number assigned to him, update the documents or the information evidencing proof of identity and proof of address as referred to in regulation 10, at least once, by submitting an application in such form set out in Schedule I as is applicable to such Aadhaar number holder or in the online form provided at the website or mobile application of the Authority and—

- (a) undergoing authentication and presenting such documents, in original, at an enrolment centre in like manner as is provided in respect of presentation of documents under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 10;
- (b)electronically uploading copies of such documents on the website or mobile application of the Authority, in the manner provided for this purpose on such website or application, as the case may be; or
- (c) giving his consent for electronically obtaining the information evidencing the said proofs from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information,

so as to help ensure the continued accuracy of his information in the Central Identities Data Repository:

Provided that such presentation, electronic uploading or electronic obtaining shall be subject to the software provided or authorised by the Authority for carrying out the process of update supporting the same.".

- 5. In the principal regulations, for regulation 19, the following regulation shall be substituted, namely:—
  - **"19. Update of information of Aadhaar number holder.—**(1) Any Aadhaar number holder who seeks to update his information in CIDR at an enrolment centre shall submit an application in such form set out in Schedule I as is applicable to such Aadhaar number holder, undergo authentication and—
    - (a) present at the enrolment centre, in original, for verification and scanning, one or more documents evidencing proof of identity and proof of address and, where applicable, proof of date of birth or proof of relationship or both, as the case may be; or
    - (b) give his consent for electronically obtaining the information evidencing the proofs referred to in clause (a) from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information:

Provided that such presentation or electronic obtaining of information shall be subject to the software provided or authorised by the Authority for collection of information for such update supporting the same.

- (2) An Aadhaar number holder who seeks to update his information in CIDR using the website or mobile application of the Authority—
  - (a) shall submit on such website or application, as the case may be, such information as is required to be filled in the online form provided thereat for such update; and
  - (b)shall upload on such website or application, copy in electronic form of one or more documents evidencing the proofs referred to in sub-regulation (1), or give his consent for electronically obtaining the information evidencing such proofs from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information:

Provided that such uploading or electronic obtaining of information shall be subject to the software provided or authorised by the Authority for collection of information for such update supporting the same.

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), if the Aadhaar number holder has previously updated the information regarding his—
  - (a) date of birth once;
  - (b) gender once; or
  - (c) name twice,

update of such information shall be done only in accordance with such process as the Authority may specify.

- (4) A list of documents that may be presented to evidence the proofs referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2) is in Schedule II.
- (5) Verification of the information collected as part of the process of update shall be done on the basis of documents specified in Schedule II or electronic information to evidence the proofs referred to in clause (b) of sub-regulation (1) or clause (b) of sub-regulation (2):

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 45

Provided that assistance of-

- (a) any Ministry, Department or agency of the Central Government or a State Government; or
- (b) any authority dealing with the preparation or maintenance of such information or documents, may be taken for the purpose of such verification.
- (6) The operator, while collecting information for update at the enrolment centre, shall adhere, *mutatis mutandis*, to the requirements applicable to collection of information for enrolment at an enrolment centre under regulation 11.
- (7) On completion of the process for collection of information for update at the enrolment centre, the operator shall provide to the Aadhaar number holder an acknowledgement containing a number to enable him to track the status of processing of the information collected.".
- **6.** In the principal regulations, in *CHAPTER VI*, below the heading of the said Chapter, the following regulation shall be inserted, namely:—
  - **"26A. Interpretation.**—In this Chapter and Schedule VI, unless the context otherwise requires, the expressions "cancel" or "omit", in relation to an Aadhaar number, shall mean the omission of such Aadhaar number, and their grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly."
- 7. In the principal regulations, in regulation 28A, for the words "from time to time", the words, brackets and figures "from time to time, the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939) and the orders made and directions given thereunder, or the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) and the rules made thereunder" shall be substituted.
- **8.** In the principal regulations, for "SCHEDULE I", "SCHEDULE II" and "SCHEDULE VI" respectively, the following Schedules shall be substituted, namely:—

#### "SCHEDULE I

[see regulations 9, 10(1), 16A and 19(1)]

#### FORM 1: Aadhaar Enrolment and Update

# For (a) Resident Indian, or (b) Non-Resident Indian having Proof of Address in India (aged 18 years and above) Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1	Purpose: Enrolment OF	Update	2			
2	Resident status: Resident Indian OR -Resident Indian (NRI) {See paragraph 1(c) of the declaration below this form}					
3	<b>Demographic information</b> (For update, p	lease fill only ti	he information to be updated):			
	(a) Name:					
	(Please fill as given in the document preser	ited in support	of the POI, while omitting any ti	tles, honorifics and aliases)		
	(b) Gender Female (c) Date of Birth: DDMMYYYY) OR Age:					
	Male Ve	rified OR	Declared OR Approxim	mate (only for age)		
	Third gender / Transgender (For de Aadhaa		oximate, only year of declared/ap	pproximate birth will be printed on		
	(d) Email:		(e) Mobile	number:		
4	Basis of enrolment/update: Document	t verification C	OR Confirmation by Head of	Family (HoF)		
5	For document-based enrolment/update,	additional den	nographic information and doc	cuments presented:		
	(Address information should be filled only	in case of enrol	lment or update of address)			
	(a) Address: Care of (optional):					
	House no. / Building / Flat no.:		Street:			
	Landmark:	Ward no.:	Area/Locality/Sector:			
	Village/Town/City:	Post Office	(mandatory):	PIN code (mandatory):		
	Sub-district:	District:	strict: State:			

	(b) Type of documents presented:	(i) Proof of Identity (POI):			
	(See "List of acceptable supporting	(ii) Proof of Address (POA):			
	documents" displayed on the website	(iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):			
	of				
	UIDAI and enrolment centres)				
6	For HoF-based enrolment or update of ac	ldress, additional information and documents presented:			
	(a) Details of HoF: (i) Name:	Aadhaar no.:			
	(ii) Relationship with applicant: Moth	er Father Legal guardian			
	Other relationship (only for address up	date): Spouse Child/Ward ling			
	(b) Type of Proof of Relationship (POR) of	locument presented:			
	(See "List of acceptable supporting doc	cuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)			
		d above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the address be recorded as the address against the Aadhaar number of the applicant.			
		Signature of HoF:			
7	For update, additional information:				
	(a) Aadhaar number of applicant:				
	(b) Information to be updated: Bion	netric (photo, fingerprints and irises) Name Date of Birth			
	Gender Address Mob	ile Email Update of POI and POA documents			
		Declaration			
1. I	hereby confirm and declare that—				
(	a) all the information and documents subm	itted is correct to the best of my knowledge and belief;			
(	b) I am entitled to the documents/informati	on evidencing proofs cited above; and			
(		for 182 days or more in 12 months immediately preceding my enrolment application) adian passport holding citizen who is not resident of India).			
	understand that if the above declaration is fy be taken against me as per law.	Found to be incorrect, my Aadhaar number may be deactivated and, in addition, action			
	-	be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of vices) Act, 2016 and regulations made thereunder.			
rela	4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, date of birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.				
Sig	nature of verifier:	Signature / thumb impression of applicant*:			
Naı	ne of verifier:	Date and time:			
* I	n case applicant is a person with disability,	in respect of whom a lawful guardian is appointed and such guardianship extends to			
	providing of the consent sought, such guardian shall present document in support of the same and sign the application.				

# **Instructions for filling Form 1**

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory
2	Resident status	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory
3	Demographic inform	nation:	
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable.	Mandatory
		(2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt., Kumari, Thiru, Thirumati etc.),	

		honorific (Dr, Prof., Sir, Justice, defence service rank, ecclesiastical title, etc.), profession/qualification/service (Dr, Er., CA, Adv., IAS, IPS, IFS etc.) and alias ( <i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.				
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	<ol> <li>Please fill details of DOB or age, as applicable.</li> <li>Tick (✔) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate".</li> <li>"Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented.</li> <li>If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.</li> </ol>	Mandatory			
(c)	Gender	Please tick (✔) only one, as applicable.				
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory for NRI			
(e)	Mobile number	Mobile number (1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.				
4	Basis of enrolment/update	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory			
5	For document-based	d enrolment/update, additional demographic information and documents presented:				
(a)	Address	<ol> <li>Please fill details as applicable.</li> <li>Filling "Care of" (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same.</li> <li>PIN code and Post Office are mandatory.</li> <li>Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by</li> </ol>	Mandatory			
		<ul> <li>the enrolment software based on the PIN code.</li> <li>(5) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted.</li> <li>(6) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.</li> <li>(7) In case applicant is NRI and does not have POA for address in India, please use Form 2.</li> </ul>				
(b)	Type of documents presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> <li>For NRIs, valid Indian passport is the only acceptable POI.</li> </ol>	Mandatory			
6	For HoF-based enro	olment or update of address, additional information and documents presented:	I			
(a)	Details of HoF	<ol> <li>Please fill details as applicable in (i).</li> <li>Please tick ( ) only one, as applicable, in (ii).</li> <li>For HoF-based enrolment, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the applicant.</li> <li>For HoF-based update of address, HoF must be 18 years or more in age and be the applicant's mother, father, legal guardian, spouse, child/ward or sibling.</li> </ol>	Mandatory			
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> </ol>	Mandatory			
7	For update, addition	nal information:				
(a)	Aadhaar number of applicant	Please fill details as applicable.	Mandatory			
(b)	Information to be updated	Please tick (✔) one or more as applicable.	Mandatory			

# Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. No.	Service	Fee
1	Enrolment	Free
2		<ul> <li>(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: Free</li> <li>(b) If done once between the ages of 15 and 17 years: Free</li> <li>(c) If done otherwise: ₹[*]</li> </ul>

		<ul> <li>(a) If done at the same time as update of biometric information: Free</li> <li>(b) If done separately, for all or any demographic information: ₹[*]</li> </ul>
4	Update of POI and POA document (evidencing	₹[*]
	proof of identity and address)	

# FORM 2: Aadhaar Enrolment and Update

# For Non-Resident Indian having Proof of Address outside India (aged 18 years and above)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

		Purpose:	Enrolm			Update		
	2	Demographic info	ormation (F	or update, please	e fill onl	ly the information	on to be updated):	
		(a) Name:						
		(Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)						
		<u>`</u>	Female	(c) Date of			(DDMMYYYY) OR <b>Age:</b> years	
		Male		Verifie			ared OR Approximate (only for age)	
		Third gender	/	(For declared of	or appro	oximate, only ye	ar of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)	
		Transgender						
	Ī	(d) Email (mandato	ry):				(e) Mobile number:	
	3	Basis of enrolmer	nt/update: [	Document	t verifi	ication OR [	Confirmation by Head of Family (HoF)	
,	4	For document-ba	sed enrolm	ent/update, a	dditio	onal demogr	aphic information and documents presented:	
		(Address information s	hould be filled	only in case of er	nrolmen	it or update of a	ddress)	
		(a) Address (as give	en in valid Indi	an				
		passport):						
		(b) Type of docur			Proof	of Identity (	POI): Valid Indian Passport	
		(See "List of accep			Proof	f of Address	(POA): Valid Indian passport	
		documents" displo UIDAI and enroln		osite of (iii	) Proo	of of Date of	Birth (PDB) (optional):	
-	5			· undate of a	ddress	ernitihhe z	information and documents presented:	
'		(a) Details of	(i) Name:		uuicss	s, additional	Aadhaar no.:	
		HoF:	` ′				Addition 110	
		(ii) Relationship w	ith applican	t: Moth	ner	Father	Legal guardian	
		Other relation				Spouse [	Child/ward Sibling	
		(b) Type of Proof (See "List of accept					ed: e of UIDAI and enrolment centres)	
		I confirm the ident	tity of the ap	plicant name	d abov	e and that sh	ne/he is related to me as mentioned. I hereby consent	
		that the address red	corded agair	ist my Aadha	ar nun	nber may be	recorded as the address against the Aadhaar number of	
		the applicant.						
	ľ			Sig	gnature	e of HoF:		
	6	For update, addit	ional infor	nation:				
		(a) Aadhaar num	ber of appl					
		(b) Information to	o be update	d: Bion	netric (	(photo, finge	erprints and irises) Name Date of Birth	
L		Gender	Addres	s Mob	ile	Email	Update of POI and POA documents	
		Declaration						
1	Т	hereby confirm an	d declara th	at		Declarati	UII	
1		•			itted is	s correct to th	ne best of my knowledge and belief;	
	(b) I am entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and (c) I am a Non Posidont Indian (valid Indian passport holding citizen who is not resident of India)							
2	(c) I am a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who is not resident of India).							
	2. I understand that if the above declaration is found to be incorrect, my Aadhaar number may be deactivated and, in addition, action may be taken against me as per law.							
						sed disclose	ed or shared in accordance with the Andham (Targeted	
	3. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.							
		•					tion evidencing proof of identity, address, birth and/or	
							preparation or maintenance of such information and for	
							agencies and/or any such authority, for the purpose of	
		ification.	ormanon an	a documents	with §	government	agencies and/or any such additiontry, for the purpose of	
١,	CI.	incation.						

<sup>\*</sup> As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

Signature of verifier:	Signature / thumb impression of applicant*:
Name of verifier:	Date and time:

<sup>\*</sup> In case applicant is a person with disability, in respect of whom a lawful guardian is appointed and such guardianship extends to providing of the consent sought, such guardian shall present document in support of the same and sign the application.

**Note:** This form may be used on and from the date on which the Authority gives public notice of the same through its website.

#### **Instructions for filling Form 2**

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✔) only one, as applicable.	
2	Demographic information:		
(a)	Name	<ol> <li>Please fill details as applicable.</li> <li>Please omit courtesy title (Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt., Kumari, Thiru, Thirumati etc.), honorific (Dr, Prof., Sir, Justice, defence service rank, ecclesiastical title, etc.), profession/qualification/service (Dr, Er., CA, Adv., IAS, IPS, IFS etc.) and alias (<i>urf</i>, a.k.a. etc.), even if figuring in the document.</li> </ol>	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	<ol> <li>(1) Please fill details of DOB or age, as applicable.</li> <li>(2) Tick (✔) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate".</li> <li>(3) "Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented.</li> <li>(4) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.</li> </ol>	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory
(e)	Mobile number	<ol> <li>Please fill details as applicable.</li> <li>In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.</li> </ol>	Optional
3	Basis of enrolment/update	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory
4	For document-based	enrolment/update, additional demographic information and documents presented:	
(a)	Address	<ol> <li>Details filled should be identical with those given in the valid Indian passport.</li> <li>Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.</li> </ol>	Mandatory
(b)	Type of documents presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> <li>Valid Indian passport is the only acceptable POI and POA.</li> </ol>	Mandatory
5	For HoF-based enrol	Iment or update of address, additional information and documents presented:	
(a)	Details of HoF	<ol> <li>Please fill details as applicable in (i).</li> <li>Please tick ( ) only one, as applicable, in (ii).</li> <li>For HoF-based enrolment, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the applicant.</li> <li>For HoF-based update of address, HoF must be 18 years or more in age and be the applicant's mother, father, legal guardian, spouse, child/ward or sibling.</li> </ol>	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> </ol>	Mandatory
6	For update, addition	or update, additional information:	
(a)	Aadhaar number of applicant	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✔) one or more as applicable.	Mandatory

#### Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	Free

2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	<ul> <li>(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: Free</li> <li>(b) If done once between the ages of 15 and 17 years: Free</li> <li>(c) If done otherwise: ₹[*]</li> </ul>
3		<ul> <li>(a) If done at the same time as update of biometric information: Free</li> <li>(b) If done separately, for all or any demographic information: ₹[*]</li> </ul>
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹[*]

**Note:** For despatching of Aadhaar letter to the foreign address of the applicant, such charges shall be payable as the Authority may specify from time to time and display on its website.

### FORM 3: Aadhaar Enrolment and Update For (a) Resident Indian child, or (b) Non-Resident Indian child having Proof of Address in India (aged 5 years and above and less than 18 years)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1	Purpose: Enrolment OR Update		
2	Resident status: Resident Indian OR Non-Resident Indian (NRI) {See paragraph 1(c) of the declaration below		
	his form}		
3	Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):		
	(a) Name:		
	Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)		
	(b) Gender: Female (c) Date of Birth: (DDMMYYYY) OR Age: years		
	Male Verified OR Declared OR Approximate (only for age)		
	Third gender / (For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar care	<i>d</i> )	
	Transgender		
	(d) Email : (e) Mobile number:		
	Basis of enrolment/update: Document verification OR Confirmation by Head(s) of Family {HoF(s)}		
5	For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:		
	Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)		
	(a) Address: Care of (optional):		
	House no. / Building / Flat no.: Street:		
	Landmark: Ward no.: Area/Locality/Sector:		
	Village/Town/City: Post Office (mandatory): PIN code (mandatory):		
	Sub-district: District: State:		
	(b) <b>Type of documents presented:</b> (i) Proof of Identity (POI):		
	(See "List of acceptable supporting (ii) Proof of Address (POA):		
	documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres) (iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):		
6	For HoF-based enrolment or update of demographic information, additional information and documents		
v	presented:		
	(a) Details of HoF: (i) Name: Aadhaar no.:		
	(ii) Relationship with the child: Mother Father Legal guardian		
	(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented:		
	(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)		
	confirm the identity of the child named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that		
	address recorded against my Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the ch	ild	
	and that my biometric information may be used to establish my identity.		
	Signature of HoF:		
7	For update, additional information:		
	(a) Aadhaar number of the child:		
	(b) Information to be updated: Biometric (photo, fingerprints and irises) Name Date of Birth		
	Gender Address Mobile Email Update of POI and POA documents		
	Declaration		
	. I hereby confirm and declare that—		
	all the information and documents submitted is correct to the best of my knowledge and belief;		
(	(b) I and the child are entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and		
(	(c) the child is a resident of India (resided in India for 182 days or more in 12 months immediately preceding my		
	enrolment application) OR that the child is a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who	is	

<sup>\*</sup> As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

not resident of India).

- 2. I understand that if the above declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be deactivated and, in addition, action may be taken against me as per law.
- 3. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.
- 4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.

Signature of verifier:	Signature / thumb impression	Signature / thumb impression	
	of mother, father or lawful guardi	an:	
Name of verifier:	Name of signatory:	Date and time:	

#### **Instructions for filling Form 3**

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✔) only one, as applicable.	
2	Resident status	atus Please tick (✔) only one, as applicable.	
3	Demographic information:		
(a)	Name (1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific (ecclesiastical title, etc.) and alias ( <i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.		Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	<ol> <li>Please fill details of DOB or age, as applicable.</li> <li>Tick ( ) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate".</li> <li>"Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented.</li> <li>If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.</li> </ol>	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory for NRI
(e)	Mobile number	<ol> <li>Please fill details as applicable.</li> <li>In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.</li> </ol>	Optional
4	Basis of enrolment/update	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory
5	For document-based	enrolment/update, additional demographic information and documents presented:	
(a)	Address	<ol> <li>Please fill details as applicable.</li> <li>Filling "Care of" (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same.</li> <li>PIN code and Post Office are mandatory.</li> <li>Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code.</li> <li>Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted.</li> <li>Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.</li> <li>In case the child is NRI and does not have POA for address in India, please use Form 4.</li> </ol>	Mandatory
(b) 6 (a)	Type of documents presented  For HoF-based enrol Details of HoF	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> <li>For NRI child, valid Indian passport is the only acceptable POI.</li> <li>Innent or update of address, additional information and documents presented:         <ol> <li>Please fill details as applicable in (i).</li> <li>Please tick ( ) only one, as applicable, in (ii).</li> </ol> </li> </ol>	Mandatory  Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR)	<ul> <li>(3) For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.</li> <li>(1) The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> </ul>	Mandatory
	document presented	(2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	
7	For update, addition		T
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (♥) one or more as applicable.	Mandatory

#### Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	Free
2		(d) If done once between the ages of 5 and 7 years: Free
	fingerprints and irises)	(e) If done once between the ages of 15 and 17 years: Free
		(f) If done otherwise: ₹[*]
3	Update of demographic information (name,	(c) If done at the same time as update of biometric information: Free
	gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(d) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹[*]

<sup>\*</sup> As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

### FORM 4: Aadhaar Enrolment and Update

For Non-Resident Indian child having Proof of Address outside India (aged 5 years and above and less than 18 years)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1	Down a gas	OR Usalata	
	Purpose: Enrolment OR Update		
2	Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):		
	(a) Name:	nted in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)	
		c) Date of Birth: (DDMMYYYY) OR Age: years	
		Verified OR Declared OR Approximate (only for age)	
		For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)	
	Transgender		
	(d) Email (mandatory):	(e) Mobile number:	
3	7, 7,	Document verification OR Confirmation by Head(s) of Family {HoF(s)}	
	<u> </u>	update, additional demographic information and documents presented:	
	(Address information should be filled only in		
	(a) Address (as given in valid Indian		
	passport):		
	(b) Type of documents presented		
	(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of	(ii) Proof of Address (POA): Valid Indian passport	
	UIDAI and enrolment centres)	(iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):	
5	For HoF-based enrolment or upd	date of demographic information, additional information and documents	
	presented:		
	(a) <b>Details of HoF:</b> (i) Name:	1	
	(ii) Relationship with the child: Mother Father Legal guardian		
	(b) Type of Proof of Relationship	o (POR) document presented:	
	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do	o (POR) document presented: ocuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)	
	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n	o (POR) document presented:  ocuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the	
	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n address recorded against my Aadha	o (POR) document presented: ocuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres) named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child	
	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n address recorded against my Aadha	b (POR) document presented:  ocuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.	
6	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n address recorded against my Aadha and that my biometric information	by (POR) document presented:  ocuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:	
6	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional information	o (POR) document presented:  ocuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:	
6	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatic (a) Aadhaar number of the child:	o (POR) document presented:  ocuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  ion:	
6	(b) Type of Proof of Relationship  (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatic (a) Aadhaar number of the child: (b) Information to be updated:	De (POR) document presented: Documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres) Description and data she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the agar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  Signature of HoF:  Biometric (photo, fingerprints and irises)  Name  Date of Birth	
6	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatic (a) Aadhaar number of the child:	o (POR) document presented:  ocuments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  ion:  Biometric (photo, fingerprints and irises)  Name  Date of Birth  Mobile  Email  Update of POI and POA documents	
	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child maddress recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatic (a) Aadhaar number of the child: (b) Information to be updated:  Gender Address	o (POR) document presented:  becoments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  mamed above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  ion:  Biometric (photo, fingerprints and irises)  Name  Date of Birth  Mobile  Email  Update of POI and POA documents  Declaration	
1.	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child n address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatio (a) Aadhaar number of the child: (b) Information to be updated:  Gender Address  I hereby confirm and declare that—	Declaration  O (POR) document presented:  Documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  In amed above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  I Date of Birth  Mobile Email Update of POI and POA documents  Declaration	
1. 3	(b) Type of Proof of Relationship  (See "List of acceptable supporting do  I confirm the identity of the child in address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatio  (a) Aadhaar number of the child:  (b) Information to be updated:  Gender Address  I hereby confirm and declare that—  (a) all the information and document	Declaration  Or (POR) document presented:  Documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  In amed above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the arr number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  Biometric (photo, fingerprints and irises)  Name  Date of Birth  Mobile  Declaration  Declaration  Interest contract to the best of my knowledge and belief;	
1. 1	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child in address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatio (a) Aadhaar number of the child: (b) Information to be updated:  Gender Address  I hereby confirm and declare that— (a) all the information and document (b) I and the child are entitled to the	be (POR) document presented:  becoments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  Biometric (photo, fingerprints and irises)  Name  Date of Birth  Mobile  Email  Update of POI and POA documents  Declaration  ents submitted is correct to the best of my knowledge and belief; the documents/information evidencing proofs cited above; and	
1. 1	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child in address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatio (a) Aadhaar number of the child: (b) Information to be updated:  Gender Address  I hereby confirm and declare that— (a) all the information and documen (b) I and the child are entitled to the (c) the child is a Non-Resident Indi	be (POR) document presented:  becoments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  mamed above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  Biometric (photo, fingerprints and irises)  Biometric (photo, fingerprints and irises)  Name  Date of Birth  Mobile  Email  Update of POI and POA documents  Declaration  ents submitted is correct to the best of my knowledge and belief;  the documents/information evidencing proofs cited above; and the initial init	
1. 1	(b) Type of Proof of Relationship (See "List of acceptable supporting do I confirm the identity of the child in address recorded against my Aadha and that my biometric information  For update, additional informatio (a) Aadhaar number of the child: (b) Information to be updated:  Gender Address  I hereby confirm and declare that— (a) all the information and documen (b) I and the child are entitled to the (c) the child is a Non-Resident Indi	be (POR) document presented:  becoments" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)  named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the aar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child may be used to establish my identity.  Signature of HoF:  Biometric (photo, fingerprints and irises)  Name  Date of Birth  Mobile  Email  Update of POI and POA documents  Declaration  ents submitted is correct to the best of my knowledge and belief; the documents/information evidencing proofs cited above; and	

- 3. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.
- 4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.

	**********************************		
Signature of verifier:	Signature / thumb impression		
	of mother, father or lawful guardian:		
Name of verifier:	Name of signatory:	Date and time:	

Note: This form may be used on and from the date on which the Authority gives public notice of the same through its website.

#### **Instructions for filling Form 4**

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✔) only one, as applicable.	
2	Demographic information:		
(a)	Name	<ul> <li>(1) Please fill details as applicable.</li> <li>(2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific (ecclesiastical title, etc.) and alias (<i>urf</i>, a.k.a. etc.), even if figuring in the document.</li> </ul>	
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	<ol> <li>(1) Please fill details of DOB or age, as applicable.</li> <li>(2) Tick (✔) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate".</li> <li>(3) "Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented.</li> <li>(4) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.</li> </ol>	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory
(e)	Mobile number	<ol> <li>Please fill details as applicable.</li> <li>In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.</li> </ol>	Optional
3	Basis of enrolment/update	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory
4	For document-based	enrolment/update, additional demographic information and documents presented:	
(a)	Address (1) Details filled should be identical with those given in the valid Indian passport. Manda (2) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.		Mandatory
(b)	Type of documents presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> <li>For NRI child, valid Indian passport is the only acceptable POI and POA.</li> </ol>	Mandatory
5	For HoF-based enrol	lment or update of address, additional information and documents presented:	
(a)	Details of HoF	<ol> <li>Please fill details as applicable in (i).</li> <li>Please tick (✔) only one, as applicable, in (ii).</li> <li>For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.</li> </ol>	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> </ol>	Mandatory
6	For update, additional information:		
(a)	Aadhaar number of the child Please fill details as applicable.  Mandato		Mandatory
(b)	Please tick ( ) one or more as applicable.  Mandator		Mandatory

#### Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	Free
2	Update of biometric information (photo,	(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: Free
	fingerprints and irises)	(b) If done once between the ages of 15 and 17 years: Free
		(c) If done otherwise: ₹[*]
3	Update of demographic information (name,	(a) If done at the same time as update of biometric information: Free
	gender, date of birth, address, mobile number or	(b) If done separately, for all or any demographic information: ₹[*]
	email address)	
4	Update of POI and POA document (evidencing	₹[*]
	proof of identity and address)	

Note: For despatching of Aadhaar letter to the foreign address of the applicant, such charges shall be payable as the Authority may specify from time to time and display on its website.

#### FORM 5: Aadhaar Enrolment and Update For (a) Resident Indian child, or (b) Non-Resident Indian child having Proof of Address in India (below 5 years of age)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

	1 tease	jouron ine manuem	3113 8176			s joint and use	only upper case (block or capital) letters.	
1	Purpose:	Enrolmen	ıt	OR		Update		
2	Resident sta	tus: Resident	Indian	OR		Non-Resident	Indian (NRI) {See paragraph 1(c) of the declaration below	
3	Demograph	ic information (For	update, p	please f	ill only	the information to	be updated):	
	(a) Name:							
							g any titles, honorifics and aliases)	
	(b) Gender:	Female	(c) Da				(DDMMYYYY) OR <b>Age:</b> years	
	Male			erified			d OR Approximate (only for age)	
	Third g		(For dec	clared o	r appro	oximate, only year o	f declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)	
	Transgender						() 36 19 1	
_	(d) Email:	1 4/ 14	75			· · · OP [ ] c	(e) Mobile number:	
4		olment/update:					Confirmation by Head(s) of Family {HoF(s)}	
5		ent-based enrolmen nation should be filled on	-	-			ic information and documents presented:	
		Care of (optional):	iy in case	e oj enre	nmeni	or upaate of addres	3)	
(a) Care of (optional): Address:								
	House no. / l	Building / Flat no.:				Street:		
	Landmark:			Ward no.: Area/Locality/Sector			ty/Sector:	
	Village/Tow	n/City:		Post Office (mandatory):			PIN code (mandatory):	
	Sub-district:			District:			State:	
	(b) Type of	documents present	ed:	(i) Proof of Identity (POI):				
		of acceptable supporting		(ii) Proof of Address (POA):				
		" displayed on the websi l enrolment centres)	te of	(iii)	Proo	f of Date of Bir	th (PDB) (optional):	
6			ındate (	of add	lress.	additional info	ormation and documents presented:	
	(a) Details	(i) Name of child's					Aadhaar no	
	of					AND/OR		
	HoF(s): (ii) Name of child's father: (iii) If details of only one pother parent is currently no			:			Aadhaar no	
					are gi	ven, whether th		
					_		1.0	
		-				OR		
	(iv) Name of	legal guardian:					Aadhaar no	
ĺ		ship with the	Mo	ther A	ND/0	OR 🔲	OR Legal guardian	

<sup>\*</sup> As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

	child:		Father				
	· · · • •		ionship (POR) do	-			
	(See "List	of acceptable supp	orting documents" dis	played on the w	ebsite of UL	DAI and enrolment centre	s)
							us as mentioned. I/we hereby
	consent that my biometric information, or that of either of us, may be used to establish the identity of one of us						
	through biometric-based authentication, and that the address recorded against the authenticated Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child.						
	0010001000						
	Signature			D/OR			OR
	of:	Mother:	Fatl	her:			Legal guardian:
7	For update,	additional inf	ormation:				
	(a) Aadhaar	number of th	e child:				
	(b) Informa	tion to be upd	ated: Biome	tric (photo)	N	lame Date o	f Birth
	Gen	der Add	ress Mobile	e En	nail 🗌	Update of POI and	POA documents
				Decla	ration		
1. l	/We hereby c	onfirm and dec	clare that—				
(	(a) all the inf	ormation and o	locuments submitt	ed is correct	to the bes	st of my/our knowled	ge and belief;
(	(b) I am / we	are entitled to	the documents/inf	ormation evi	idencing p	proofs cited above; ar	nd
(	c) the child	is a resident of	of India (resided in	n India for 1	182 days	or more in 12 month	ns immediately preceding the
			that the child is a	Non-Reside	nt Indian	(valid Indian passpo	ort holding citizen who is not
	resident o	,					
			e above declaration tion may be taken				number of the child may be
			•	U	•		ccordance with the Aadhaar
							regulations made thereunder.
	· ·	•					oof of identity, address, birth
anc	l/or relationsh	nip from the da	tabases of the auth	norities deali	ng with th	ne preparation or mai	intenance of such information
	and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the						
pui	purpose of verification.						
Sig	nature of:		Mother:		AND/OI	₹	OR
				Father:			Legal guardian:
Signature of verifier:				Name of verifier:			Date and time:

# **Instructions for filling Form 5**

S. No.	Item					
1	Purpose	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory			
2	Resident status	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory			
3	Demographic inform	ation:				
(a)	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific and alias ( <i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.					
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	<ol> <li>Please fill details of DOB or age, as applicable.</li> <li>Tick (✔) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate".</li> <li>"Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented.</li> <li>For a child born on or after 1<sup>st</sup> October, 2023, birth certificate is the only acceptable PDB.</li> <li>If PDB is not available, the child may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.</li> </ol>	Mandatory			
(c)	Gender Please tick (✔) only one, as applicable.					
(d)	Email	Please fill details as applicable.				
(e)						

4	Basis of enrolment/update	Please tick (♥) only one, as applicable.	Mandatory
5	•	enrolment/update, additional demographic information and documents presented:	
(a)	Address	<ol> <li>Please fill details as applicable.</li> <li>Filling "Care of" (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same.</li> <li>PIN code and Post Office are mandatory.</li> <li>Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code.</li> <li>Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted.</li> <li>Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.</li> <li>In case the child is NRI and does not have POA for address in India, please use Form 6.</li> </ol>	Mandatory
(b)	Type of documents presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> <li>For NRIs, valid Indian passport is the only acceptable POI.</li> </ol>	Mandatory
6	For HoF-based enrol	lment or update of address, additional information and documents presented:	
(a)	Details of HoF	<ol> <li>Please fill details as applicable in (i) and (ii).</li> <li>Please tick (✔) only one, as applicable, in (iii).</li> <li>Please fill details as applicable in (iv).</li> <li>Please tick (✔), as applicable, in (v).</li> <li>For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.</li> </ol>	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> </ol>	Mandatory
7	For update, additione		
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✔) one or more as applicable.	Mandatory

#### Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	Free
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	<ul> <li>(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: Free</li> <li>(b) If done once between the ages of 15 and 17 years: Free</li> <li>(c) If done otherwise: ₹[*]</li> </ul>
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	<ul> <li>(a) If done at the same time as update of biometric information: Free</li> <li>(b) If done separately, for all or any demographic information: ₹[*]</li> </ul>
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹[*]

<sup>\*</sup> As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 [ADVT.-III/4/Exty./699/2023-24]

# FORM 6: Aadhaar Enrolment and Update For Non-Resident Indian child having Proof of Address outside India (below 5 years of age) Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1	Purpose: Enrolment OR Update					
2 Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):						
	(a) Name:					

	(Please fill as giv	en in the document p	resente	ed in support of the POI, while omitting ar	ny titles, honorifics and aliases)			
	(b) Gender:	Female	(c)	Date of Birth:	(DDMMYYYY) OR <b>Age:</b> years			
	Male			Verified OR Declared (	OR Approximate (only for age)			
	Third gen	nder /	(Fo	or declared or approximate, only year of de	eclared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)			
	Transgender							
	(d) Email (mail	ndatory):			(e) Mobile number:			
3	Basis of enrol	lment/update: 🛚		ocument verification OR Con	firmation by Head(s) of Family {HoF(s)}			
4	For documen	t-based enrolm	ent/uj	pdate, additional demographic i	information and documents presented:			
	(Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)							
	(a) Address (as given in valid Indian							
	passport):							
			1					
	(b) Type of d	ocuments		(i) Proof of Identity (POI): Valid	- · ·			
1	presented:	acceptable supporti	na	(ii) Proof of Address (POA): Va				
1		displayed on the web		(iii) Proof of Date of Birth (PDB	3) (optional):			
	of							
5		enrolment centres)	de	oto of address additional inform	nation and documents presented:			
3		(i) Name of chil		*				
	(a) Details of	(1) Name of chil	asn		Aadhaar no			
	HoF(s):	('') 31	1.15	AND/C				
	1101 (8).	(ii) Name of chi			Aadhaar no			
				one parent are given, whether the atly not residing with the child:	Yes No			
		other parent is e	ulleli	OR				
	(iv) Name of 1	egal guardian:		OK	Aadhaar nd			
	(v) Relationsh			Mother AND/OR	DR Legal guardian			
	child:	ip with the	Fath		JK Legal guardian			
	(b) Type of P	roof of Relation	ship	(POR) document presented:				
				ruments" displayed on the website of UIDA				
		•			related to me/us as mentioned. I/we hereby			
					used to establish the identity of one of us I against the authenticated Aadhaar number may			
	_			ne Aadhaar number of the child.	against the authenticated Aadhaar humber may			
	oc recorded as			AND/OR	OR			
	Signature of:	Mother:		Father:	Legal guardian:			
6		dditional inforr	natio		0 0			
		number of the c						
	(b) Informati	on to be update	d:	Biometric (photo) Na	me Date of Birth			
	Gend	er Address	s <u> </u>	Mobile Email	Update of POI and POA documents			
				Declaration				
1. 1	Declaration  1. I/We hereby confirm and declare that—							
	(a) all the information and documents submitted is correct to the best of my/our knowledge and belief;							
	` '			ments/information evidencing pro	•			
				• · ·	citizen who is not resident of India).			
1								
	2. I/We understand that if the above declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be							

- deactivated and, in addition, action may be taken against me/us as per law.
- 3. I/We understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.
- 4. I/We hereby give my/our consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the

purpose of verification.					
Signature of:	Mother:		AND/OR Father:		OR Legal guardian:
Signature of verifier:	Name of v	erifier:		Date and time:	

**Note:** This form may be used on and from the date on which the Authority gives public notice of the same through its website.

**Instructions for filling Form 6** 

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional	
1	Purpose	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory	
2	Demographic inform	ation:		
(a)	Name	<ol> <li>Please fill details as applicable.</li> <li>Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific and alias (<i>urf</i>, a.k.a. etc.), even if figuring in the document.</li> </ol>	Mandatory	
(b)	Date of Birth (DOB) or Age  (1) Please fill details of DOB or age, as applicable. (2) Tick (✔) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate". (3) "Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (4) For a child born on or after 1 <sup>st</sup> October, 2023, birth certificate is the only acceptable PDB. (5) If PDB is not available, the child may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.		Mandatory	
(c)	Gender	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory	
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory	
(e)	Mobile number  (1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.		Optional	
3	Basis of enrolment/update Please tick (✔) only one, as applicable.			
4		nent-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:  (1) Details filled should be identical with those given in the valid Indian passport.		
(a)	Address	ddress (1) Details filled should be identical with those given in the valid Indian passport. (2) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.		
(b)	Type of documents presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> <li>For NRIs, valid Indian passport is the only acceptable POI and POA.</li> </ol>	Mandatory	
5	For HoF-based enrol	lment or update of address, additional information and documents presented:		
(a)	Details of HoF	<ol> <li>Please fill details as applicable in (i) and (ii).</li> <li>Please tick (✔) only one, as applicable, in (iii).</li> <li>Please fill details as applicable in (iv).</li> <li>Please tick (✔), as applicable, in (v).</li> <li>For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.</li> </ol>	Mandatory	
	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> </ol>	Mandatory	
6	For update, additiona		1	
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory	
(b)	Information to be updated	Please tick (♥) one or more as applicable.	Mandatory	

# Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	Free
2	Update of biometric information (photo,	(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: Free
	fingerprints and irises)	(b) If done once between the ages of 15 and 17 years: Free
		(c) If done otherwise: ₹[*]
3	Update of demographic information (name,	(a) If done at the same time as update of biometric information: Free
	gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹[*]

\* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

**Note:** For despatching of Aadhaar letter to the foreign address of the applicant, such charges shall be payable as the Authority may specify from time to time and display on its website.

# FORM 7: Aadhaar Enrolment and Update For Resident Foreign National (aged 18 years or above)

 ${\it Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.}$ 

1	Purpose: Enrolment (	OR Update					
2	Nationality:						
3	Documents presented in support of na	tionality and eligib	ility:				
	1	) Passport umber:					
	(ii) Passport expiry date:		iii) Date of entry in ndia:	DMMYYYY			
	AND						
	(b) Details of valid Overseas Citizen of India (OCI) card Holder:  (i) OCI number:						
	(ii) Date of issue of OCI card:	DDMMY	(iii) e-FRRO R number:	egistration			
		OF	<u> </u>				
	(c) Details of valid Long Term Visa (LTV):	(i) LTV numbe	r:				
	(ii) Date of issue of LTV:		iii) Date of expiry o	of (DDMMYYYY)			
		OF	2				
	(d) Details of valid Indian visa: (i) Vitype/	isa category:	(ii) Date of issue:	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]			
	(iii) Date of expiry:	DMMYYYY) (iv) e-FR number:	RO Registration				
	OR, as an alternative to Foreign Pa	ssport along with O	CI/LTV/Visa, only fo	or nationals of Nepal and Bhutan:			
	(e) Types of the two Proof of Identity ( (See "List of acceptable supporting documents" du			entres)			
	(i) First POI document:		(ii) Second POI document:				
4	<b>Demographic information</b> (For update, p	lease fill only the informa	tion to be updated):				
	(a) Name: (Please fill as given in the document presented in s	support of the POL while	omitting any titles honor	rifics and aliases)			
		ate of Birth:		MMYYYY) OR <b>Age:</b> years			
				Approximate (only for age)			
	Third gender / Transgender (For d card)	eclared or approximate,	only year of declared/app	proximate birth will be printed on Aadhaar			
	(d) Email (mandatory):		(e) Mobil	e number:			
5	Basis of enrolment/update: Docum	nent verification OR	Confirmation b	y Head of Family (HoF)			
6	For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:  (Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)						
	(a) Address: Care of (optional):						
	House no. / Building / Flat no.:		Street:				
	Landmark:	Ward no.:	Area/Locality/Se	ctor:			
	Village/Town/City:	Post Office (manda					

	Sub-district:	District:	State:				
	(b) Type of documents	(i) Proof of Identity (POI):	(i) Proof of Identity (POI):				
	presented: (See "List of acceptable supporting	(ii) Proof of Address (POA):					
	documents" displayed on the website	(iii) Proof of Date of Birth (P	DB) (optional):				
	of  UIDAI and enrolment centres)						
7	For HoF-based enrolment or up	date of address, additional inf	formation and	documents presented:			
	(a) Details of (i) Name: HoF:		Aadhaar no.:				
	(ii) Relationship with applicant: Other relationship (only for add	Mother Father ress update): Spouse	Legal guardian Child/ward	n Sibling			
	(b) Type of Proof of Relationshi (See "List of acceptable supporting a	p (POR) document presented: ocuments" displayed on the website of		ent centres)			
				ne as mentioned. I hereby consent that is against the Aadhaar number of the			
	Signature of HoF:						
8	For update, additional informat	ion:					
	(a) Aadhaar number of applica						
	(b) Information to be updated:  Gender Address	Biometric (photo, fingerpr Mobile Email		Name Date of Birth POI and POA documents			
		Declaration					
	hereby confirm and declare that—						
	<ul><li>(a) all the information and docume</li><li>(b) I am entitled to the documents.</li></ul>		•	•			
				s or more in 12 months immediately			
	preceding my enrolment applie						
	I understand that if the above dec lition, action may be taken against		ct, my Aadhaai	number may be deactivated and, in			
3. ]	B. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.						
rela sha	4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.						
Sig	nature of verifier:	Signature / th	umb impressio	n of applicant*:			
	me of verifier:	Date and time					
* I	* In case applicant is a person with disability, in respect of whom a lawful guardian is appointed and such guardianship						

### **Instructions for filling Form 7**

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional	
1	Purpose	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory	
2	Nationality	Please fill details.	Mandatory	
3	Documents presented in support of nationality and eligibility:			
(a)	Details of valid Foreign	Please fill details as applicable.	(a) along with	
	Passport		(b), (c) or (d),	
(b)	Details of valid OCI card	Please fill details as applicable.		

<sup>\*</sup> In case applicant is a person with disability, in respect of whom a lawful guardian is appointed and such guardianship extends to providing of the consent sought, such guardian shall present document in support of the same and sign the application.

(c)	Details of valid LTV	Please fill details as applicable.	OR
(d)	Details of valid Indian visa	Please fill details as applicable.	For nationals of
(e)	Types of 2 POI documents	Please fill details as applicable.	Nepal and
` ′	presented	**	Bhutan, (e)
	•		
4	Domo o nambio information.		is mandatory
(a)	Demographic information: Name	(1) Please fill details as applicable.	Mandatory
(u)	Tanic	(2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt., Thiru, Thirumati etc.), honorific	wandatory
		(Dr, Prof., Sir, Justice, defence service rank, ecclesiastical title, etc.),	
		profession/qualification/service (Dr, Er., CA, Adv., IAS, IPS, IFS etc.) and alias ( <i>urf</i> ,	
		a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(3) Please fill details of DOB or age, as applicable.	Mandatory
(0)	Date of Birtil (DOB) of Age	5 11	Mandatory
		(5) "Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented.	
		(6) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or	
		approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	
(c)	Gender	Please tick ( $\checkmark$ ) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory
(e)	Mobile number	(3) Please fill details as applicable.	Optional
(6)	Woone number	(4) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Орионаг
5	Basis of enrolment/update	Please tick ( $\checkmark$ ) only one, as applicable.	Mandatory
6		ent/update, additional demographic information and documents presented:	Transactory
(a)	Address	(7) Please fill details as applicable.	Mandatory
(a)	Address	(8) Filling "Care of" (C/o) details in the address is optional and no supporting document is	wandatory
		required in respect of the same.	
		(9) PIN code and Post Office are mandatory.	
		(10) Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the	
		enrolment software based on the PIN code.	
		(11) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be	
		permitted.	
		(12) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.	
(b)	Type of documents	(1) The document type should be from among those specified in the "List of acceptable	Mandatory
	presented	supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.	
		(2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an	
		electronic copy and verifying the same against the originals.	
7		r update of address, additional information and documents presented:	Is a second
(a)	Details of HoF	(5) Please fill details as applicable in (i).	Mandatory
		(6) Please tick (✔) only one, as applicable, in (ii).	
		(7) For HoF-based enrolment, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father	
		or legal guardian of the applicant.	
		(8) For HoF-based update of address, HoF must be 18 years or more in age and be the	
(1-)	Type of Proof of	applicant's mother, father, legal guardian, spouse, child/ward or sibling.  (1) The document type should be from among those specified in the "List of acceptable"	Manadatana
(b)	V 1	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> </ol>	Mandatory
	Relationship (POR) document presented	supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.  (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an	
	document presented	electronic copy and verifying the same against the originals.	
8	For update, additional infort		I
(a)	Aadhaar number of	Please fill details as applicable.	Mandatory
(a)	applicant	i tease ini detans as applicable.	141andatory
			1

### Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	₹[*]
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	₹[*]
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	<ul> <li>(a) If done at the same time as update of biometric information: Free</li> <li>(b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]</li> </ul>
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹[*]

<sup>\*</sup> As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

### FORM 8: Aadhaar Enrolment and Update For Resident Foreign National (aged below 18 years)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

	Purpose: Enrolment	OR Upo	date			
2	Nationality:					
3	<b>Documents presented in support</b>	of nationality and	eligibility:			
	(a) Details of valid Foreign	(i) Passport				
	Passport: number:					
	(ii) Passport expiry		YYY) (iii) Date of entry in DMMYYYY)			
	date:		India:			
	date.		AND			
		et l' (OCT)				
	(b) Details of valid Overseas Citi	zen of India (OCI)	card (i) OCI number:			
	Holder:		IAMMAN (III) FREE E			
	(ii) Date of issue of OCI		MMYYYY) (iii) e-FRRO Registration			
	card:		number:			
			OR			
	(c) Details of valid Long Term V	isa (i) LTV n	umber:			
	(LTV):					
	(ii) Date of issue of LTV:	DDMMY	YYY) (iii) Date of expiry of			
			LTV:			
			OR			
	(d) Details of valid Indian visa:	(i) Visa	(ii) Date of issue: DDMMYYYY)			
		type/category:				
	(iii) Date of		e-FRRO Registration			
	expiry:		nber:			
		on Passport along w	ith OCI/LTV/Visa, only for nationals of Nepal and Bhutan:			
	(e) Types of the two Proof of Iden					
	(See "List of acceptable supporting docume					
	(i) First POI	1 ,	(ii) Second POI			
	document:		document:			
4	<b>Demographic information</b> (For up	date, please fill only the i				
-	(a) Name:	aure, preuse jur only me i	gormanon to be up auteu).			
		ted in support of the POI,	while omitting any titles, honorifics and aliases)			
	(b) Gender: Female	(c) Date of Birth:	(DDMMYYYY) OR Age: years			
	Male	Verified OR	Declared OR Approximate (only for age)			
	Third gender / Transgender	(For declared or approxi	imate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar			
		card)				
	(d) Email (mandatory):		(e) Mobile number:			
	· —	Document verification				
6			lemographic information and documents presented:			
	(Address information should be filled only i	n case of enrolment or up	date of address)			
	(a) Address: Care of (optional):					
	House no. / Building / Flat no.:		Street:			
	Landmark:	Ward no.:	Area/Locality/Sector:			
	Village/Town/City:	Post Office (				
	Sub-district:	District:	State:			
	(b) Type of documents	(i) Proof of Identity				
	presented:	(ii) Proof of Addres	, ,			
	(See "List of acceptable supporting	(iii) Proof of Date of	of Birth (PDB) (optional):			
	documents" displayed on the website of					
	UIDAI and enrolment centres)					
7	For HoF-based enrolment or upo	late of address, add	itional information and documents presented:			
	(a) Details of (i) Name:	,	Aadhaar no.:			
	HoF:					
	(ii) Relationship with the child: [	Mother Fa	ther Legal guardian			
	(b) Type of Proof of Relationship					
	(See "List of acceptable supporting do	cuments" displayed on th	e website of UIDAI and enrolment centres)			
			t she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the			
	<del>-</del>		· ·			

	address recorded against my Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child.						
	Signature of						
	HoF:						
8	For update, additional information:						
	(a) Aadhaar number of t						
	(b) Information to be upo						
	Gender Add	lress Mobile Email Update of POI and POA documents  Declaration					
		Deciaration					
1. I	I hereby confirm and declar	e that—					
	(a) all the information and	documents submitted is correct to the best of my knowledge and belief;					
	(b) I and child are entitled	to the documents/information evidencing proofs cited above; and					
	. ,	national and resident of India (resided in India for 182 days or more in 12 mon my enrolment application).	iths				
		re declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be deactivate taken against me as per law.	ited				
		information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Target er Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.	ted				
rela sha	4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.						
Sig	nature of verifier:	Signature / thumb impression of mother, father or lawful guardian:					
Naı	me of verifier:	Date and time:					

### Instructions for filling Form 8

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional		
1	Purpose	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory		
2	Nationality	Please fill details.	Mandatory		
3	Documents presented in supp	port of nationality and eligibility:			
(a)	Details of valid Foreign Passport	Please fill details as applicable.	(a) along with (b), (c) or (d),		
(b)	Details of valid OCI card	Please fill details as applicable.	OR		
(c)	Details of valid LTV	Please fill details as applicable.	For nationals of		
(d)	Details of valid Indian visa	Please fill details as applicable.	Nepal and		
(e)	Types of 2 POI documents presented	Please fill details as applicable.	Bhutan, (e)		
			is mandatory		
4	Demographic information:		Mandatory		
(a)	Name	(-)			
		(2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific (ecclesiastical title, etc.)			
		and alias (urf, a.k.a. etc.), even if figuring in the document.			
(b)	Date of Birth (DOB) or Age		Mandatory		
		(6) Tick (✔) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate".			
		(7) "Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being			
		presented.			
		(8) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or			
		approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.			
(c)	Gender	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory		
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory		
(e)	Mobile number	(3) Please fill details as applicable.	Optional		
		(4) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.			
5	Basis of enrolment/update	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory		
6	For document-based enrolm	r document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:			
(a)	Address	(7) Please fill details as applicable.	Mandatory		
		(8) Filling "Care of" (C/o) details in the address is optional and no supporting document is			
		required in respect of the same.			
		(9) PIN code and Post Office are mandatory.			

		<ul> <li>(10) Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code.</li> <li>(11) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted.</li> <li>(12) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.</li> </ul>			
(b)	Type of documents presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> </ol>	Mandatory		
7	For HoF-based enrolment or	r update of address, additional information and documents presented:			
(a)	Details of HoF	<ol> <li>Please fill details as applicable in (i).</li> <li>Please tick (✔) only one, as applicable, in (ii).</li> <li>For HoF-based enrolment, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.</li> <li>For HoF-based update of address, HoF must be 18 years or more in age and be the applicant's mother, father, legal guardian, spouse, child/ward or sibling.</li> </ol>	Mandatory		
. ,	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	<ol> <li>The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres.</li> <li>Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.</li> </ol>	Mandatory		
8	For update, additional information:				
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory		
(b)	Information to be updated	Please tick (✔) one or more as applicable.	Mandatory		

#### Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. No.	Service	Fee
1	Enrolment	₹[*]
2	Update of biometric information (photo,	₹[*]
	fingerprints and irises)	
	Update of demographic information (name,	(a) If done at the same time as update of biometric information: <i>Free</i>
	gender, date of birth, address, mobile number or	(b) If done separately, for all or any demographic information: ₹[*]
	email address)	
4	Update of POI and POA document (evidencing	₹[*]
	proof of identity and address)	

<sup>\*</sup> As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016";

### SCHEDULE II

[see regulations 10(2) and 19(4)]

### List of Acceptable Documents for Enrolment and Update

	List of Documents that may be presented to evidence Proof Enrolment for Aadhaar Number of In		
	✓ means allowed and X m	•	
• E	nrolment Type I: Head of the Family (HoF) based enrolment		
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Relationship (POR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and Date of Birth
1.	Birth certificate issued by Authorised Authority (in the respective States) under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	•	<b>V</b>
2.	Valid Indian Passport (only applicable for NRIs)	<i>V</i>	<b>~</b>
3.	Document to prove legal guardianship	<i>V</i>	X
• E	nrolment Type II: Document based Enrolment		
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (POI) document, containing name and photograph	Proof of Address (POA) document, containing name and address in India
4.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of the shelter home or orphanage concerned)	•	•

	Documents applicable for holders of Overseas Citizen of India (OCI) card holder, nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals seeking enrolment					
5.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for individual who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	<b>V</b>	<i>X</i> *			
6.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	V	X*			
7.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	V	<i>X</i> *			
8.	Passport of Nepal/Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, both of the following documents to be submitted:  (a) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate  (b) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission / Royal Bhutanese Mission in India for stay of more than 182 days	~	X*			

<sup>\*</sup> Proof of Address documents as in the list of acceptable supporting documents for Aadhaar enrolment (above five years) will be applicable.

Note: Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—

- (a) It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);
- (b) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- (c) If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used; and
- (d) The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that such document is not proof of the same.

#### **Important Note:**

- (a) For resident Indian and non-resident Indian (NRI) born on and after 1.10.2023, birth certificate is mandatory.
- (b) Head of Family (HoF) based enrolment is mandatory (except for children residing in shelter homes or orphanages and foreign national seeking enrolment) for children below five years of age. Any one of the parents or legal guardian can become HoF.
- (c) HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment.
- (d) Aadhaar number of both the parents is required for HoF based enrolment and biometric authentication by one of the parents is mandatory.
- (e) Name of the child and HoF must be mentioned in the PoR document.
- (f) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- (g) The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the child's Aadhaar.
- (h) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- (i) For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- (k) HoF is encouraged to provide any of the following Proof of Identity (PoI) documents issued in the name of the child:
  - (i) Indian passport
  - (ii) Photo Identity Card/Certificate with photograph issued by Central Government /State Government, such as Domicile Certificate, Resident Certificate etc.
  - (iii) ST/ SC/ OBC Certificate issued by Central Government /State Government
  - (iv) Disability Identity Card/Certificate of Disability issued under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017

# List of Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for Enrolment for Aadhaar Number of Individual Five Years and above of Age

	✓ means a	allowed and X means not allowed			
SI. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (POI) document, containing name and photograph	Proof of Address (POA) document, containing name and address in India	Proof of Relationship (POR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and Date of Birth
32.	Valid Indian Passport	<b>V</b>	<b>V</b>	V	~
33.	PAN Card/e-PAN Card	<b>V</b>	X	X	X
34.	Ration /PDS Photograph Card/e-Ration Card	<b>V</b>	<b>V</b>	V	X
35.	Voter Identity Card /e-Voter Identity Card	V	<b>V</b>	X	X
36.	Driving licence	<b>V</b>	X	X	X
37.	Service Photo Identity Card issued by Central Government/ State Government/ PSU/ regulatory body / statutory body	V	X	X	~
38.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body	V	X	~	~
39.	CGHS/ ECHS/ ESIC/ Medi-Claim Card issued by Central Government/ State Government/ PSU	V	X	X	X
40.	Disability Identity Card / Certificate of Disability issued under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017	~	<b>V</b>	X	X
41.	Photograph Identity Card / Certificate with photograph issued by Central Government/ State Government, such as under Bhamashah scheme, Domicile Certificate, MGNREGA/NREGS Job Card, Labour Card, etc.	V	V	~	X
42.	Scheduled Tribe(ST)/ Scheduled Cast(SC)/Other Backward Cast (OBC) Certificate issued by Central Government/ State Government	~	~	~	X
43.	Mark-sheet/Certificate issued by recognised Board of Education or university or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	~	X	~	~
44.	Passbook with photograph issued by a Public Sector Bank (as categorised by RBI), duly stamped and signed, along with a supporting certificate from the branch manager in charge certifying that KYC in respect of the accountholder is complete and the proof of address for the address shown in the passbook is available in the bank's record	V	<b>V</b>	X	X
45.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	~	~	~	~
46.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:				<b>-</b>
	(i) MP/ MLA/ MLC/ Municipal Councillor	X	~	X	X
	(ii) Gazetted Officer Group 'A' /Employees Provident Fund Oorganisation (EPFO) Officer	X	<b>&gt;</b>	X	X
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group 'B'	X	<b>V</b>	X	X

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 67

	(iv) Gazetted Officer at National AIDS Control Organisation (NACO) / State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)	V	•	X	X
	(v) Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of shelter home or orphanage concerned)	•	<b>'</b>	X	X
	(vi) Recognisededucational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned).	X	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	X	X
	(vii) Village Panchayat Head/ President or Mukhiya/ Gaon Bura/ equivalent authority (for rural areas)/ Village Panchayat Secretary/ Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	X	~	X	X
47.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	X	V	X	X
48.	Water bill (not older than 3 months)	X	V	X	X
49.	Telephone landline bill/ post-paid mobile bill/ broadband bill (not older than 3 months)	X	~	X	X
50.	Valid sale agreement/ gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	X	~	X	X
51.	Gas connection bill (not older than 3 months)	X	V	X	X
52.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	X	~	X	X
53.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	X	V	X	X
54.	Birth certificate issued by Authorised Authorityunder the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	X	X	~	~
55.	Family entitlement document issued by Central Government/ State Government	X	X	<b>V</b>	X
56.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer, with signature and seal	~	~	X	X
57.	Document to prove legal guardianship	X	X	<u> </u>	X
	iments applicable for holders of Overseas Citizen of I			m Visa (LTV), nat	
	Bhutan and other foreign nationals seeking enrolmen				
58.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for individual who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	~	X	X	X
59.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	V	~	X	X
60.	Valid Passport of Nepal/Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, any two of the following documents having the same address may be submitted: (ঘ) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (롱) Valid Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal/Bhutan (ঘ) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/Royal Bhutanese Mission in India	•	X	X	X

61.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months		X	X	X
62.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by FRRO/FRO to the foreign national (except OCI Card holders, LTV document holders and Nepal/Bhutan nationals)	X	V	X	X

Note: Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—

- (a) It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);
- (b) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- (c) If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used: and
- (d) The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that the same is not proof of the same.

#### **Important Note:**

- (a) For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 01.10.2023, birth certificate is mandatory.
- (b) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains Name and Photograph of the individual.
- (c) A document is accepted as Proof of Address (PoA) document only if it contains Name and Address of the individual.
- (d) A document is accepted as both Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) document only if it contains Name, Photograph and Address of the individual.
- (e) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- (f) All the PoI, PoA, DoB documents shall be issued on the name of the individual. Documents in the name of the family member/members cannot be considered for enrolment of the other family members.
- (g) Head of Family (HoF) based enrolment shall be used in case individual does not have PoI and PoA documents.
- (h) HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment. HoF must accompany the individual during enrolment for his / her Aadhaar Authentication.
- (i) The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the family member's Aadhaar.
- (j) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- (k) For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- (1) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- (m) All the documents should be latest and valid (except otherwise specified)

# List of Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for Update of Information in respect of Aadhaar Number Holder of any Age

✓ means allowed and X means not allowed

	• incars anowed and A means not anowed				
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (POI) document, containing name and photograph	Proof of Address (POA) document, containing name and address in India	Proof of Relationship (POR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and Date of Birth
21.	Valid Indian Passport	~	~	~	<b>v</b> *
22.	PAN Card/e-PAN Card	~	X	X	X
23.	Ration / PDS Photograph Card / e-Ration Card	V	~	V	X
24.	Voter Identity Card /e-Voter Identity Card, whose details are displayed online on the website of the Election Commission of India or the Chief Electoral Officer concerned	V	V	X	X
25.	Driving licence	~	X	X	X

26.	Service Photo Identity Card issued by Central Government/ State Government/ PSU/ regulatory body / statutory body	V	X	X	<b>/</b> *
27.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body	~	X	~	<b>/</b> *
28.	Kisan Photo Passbook	~	~	X	X
29.	CGHS/ ECHS/ ESIC/ Medi-Claim Card issued by Central Government/ State Government/ PSU	V	X	X	X
30.	Disability Identity Card / Certificate of Disability issued under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017	V	~	X	X
31.	Photograph Identity Card / Certificate with photograph issued by Central Government/ State Government, such as under Bhamashah scheme, Domicile Certificate, MGNREGA/NREGS Job Card, Labour Card, etc.	~	~	~	X
32.	Marriage Certificate with or without photograph issued by Central Government/ State Government (supporting PoI document of old name and photograph is required if the Marriage Certificate is without photograph)	V	~	~	X
33.	ST / SC / OBC Certificate issued by Central Government / State Government	~	~	~	X
34.	School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer Certificate (TC)	<b>v</b>	X	X	X
35.	Mark-sheet/Certificate issued by recognised Board of Education oruniversity or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	V	X	V	<b>/</b> *
36.	Passbook with photograph issued by a Public Sector Bank (as categorised by RBI), duly stamped and signed, along with a supporting certificate from the branch manager in charge certifying that KYC in respect of the accountholder is complete and the proof of address for the address shown in the passbook is available in the bank's record	•	•	X	X
37.	Scheduled Commercial Bank's (notified by RBI) Passbook having Name and Photograph (cross stamped with Bank seal) and signed by bank official/ Post Office Savings Account Passbook (with stamp and signature of issuing official of post office)	X	~	X	X

38.	Bank Account Statement/ Credit Card Statement (with Bank stamp & signature of issuing bank official)/ Post Office Savings Account Statement (with stamp and signature of issuing official of post office) (not older than 3 months)	X	~	X	X
39.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	V	~	~	<b>/</b> *
40.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:				
	(i) MP / MLA / MLC / Municipal Councillor	X	~	X	X
	(ii) Gazetted Officer Group 'A'/ Employees Provident Fund Organisation (EPFO) Officer	X	<b>V</b>	X	X
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group 'B'	X	<b>~</b>	X	X
	(iv) Gazetted Officer at National AIDS Control Organisation (NACO) / State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)	•	•	X	X
	(v) Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of shelter home or orphanage concerned)	V	~	X	X
	(vi) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned)	X	~	X	X
	(vii) Village Panchayat Head/ President or Mukhiya/ Gaon Bura/ equivalent authority (for rural areas)/ Village Panchayat Secretary/ Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	X	~	X	X
21.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	X	~	X	X
22.	Water bill (not older than 3 months)	X	~	X	X
23.	Telephone landline bill/ post-paid mobile bill/ broadband bill (not older than 3 months)	X	~	X	X
24.	Property Tax Receipt (not older than 1 year)	X	~	X	X

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 71

25.	Valid sale agreement/ gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	X	V	X	X
26.	Gas connection bill (not older than 3 months)	X	<b>&gt;</b>	X	X
27.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	X	<b>&gt;</b>	X	X
28.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	X	<b>&gt;</b>	X	X
29.	Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	X	X	V	V
30.	Family entitlement document issued by Central Government/ State Government	X	X	<b>&gt;</b>	X
31.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer, with signature and seal	<b>&gt;</b>	>	X	X
32.	Self-declaration from the Head of Family (HoF) certifying the relationship with the individual residing at the same address as HoF, valid only for borrowing address of HoF. (to be used only for address update of immediate family member/members of HoF)	X	X	V	X
33.	Document to prove legal guardianship	X	X	V	X
	ments applicable for holders of Oversea hutan and other foreign nationals seek		card holder, or Long	g Term Visa (LTV), ı	nationals of Nepal
34.	Valid OCI card, along with valid foreign passport	~	X	X	X
35.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	V	~	X	X

36.	Passport of Nepal/Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, any two of the following documents having the same address may be submitted:  (a) Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate  (b) Valid Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal/Bhutan  (c) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/ Royal Bhutanese Mission in India	•	X	X	X
37.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals	V	X	X	X
38.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by Foreigners Regional Registration Office (FRRO) /Foreigners Registration Office (FRO) to the foreign national (except OCI Card holders, LTV document holders and Nepal/ Bhutan nationals)	X	~	X	X
Docur	nents applicable for exception cases of	name, gender and date o	of birth (DoB):		
39.	For exception cases of name change: Gazette Notification of new name along with any supporting POI document of old name with Photograph (for first/full name change)/Divorce Decree/ Adoption Certificate/ Marriage Certificate	V	X	X	X
40.	For Exception cases of Gender Change: Medical Certificate from surgeon, in case individual changed gender surgically	V	X	X	X
41.	For exception cases of DoB Change: Self Declaration as per notified format along with Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	X	X	X	V

Note: Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—

- (a) It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);
- (b) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- (c) If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used; and
- (d) The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that the same is not proof of the same.

#### **Important Note:**

- (a) For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 01.10.2023, birth certificate is mandatory.
- (b) \*DoB update of all individual between the age group of 0-18 years mandatorily requires Birth Certificate issued by Authorized Authority of the respective States
- (c) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains Name and Photograph of the individual.
- (d) A document is accepted as Proof of Address (PoA) document only if it contains Name and Address of the individual.

- (e) A document is accepted as both Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) document only if it contains Name, Photograph and Address of the individual.
- (f) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- (g) PoI, PoA and PDB documents shall be issued on the name of the individual. Documents in the name of the family member/members cannot be considered for enrolment of the other family members.
- (h) Head of Family (HoF) based enrolment shall be used in case individual does not have PoI and PoA documents.
- (i) HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment. HoF must accompany the individual during enrolment for his / her Aadhaar Authentication.
- (j) The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the family member's Aadhaar.
- (k) In case of child (0-5 years) having name as "Baby of ...." in Aadhaar, the first update request for full name change shall be allowed by submission of Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder.
- (1) Aadhaar update for foreigner national will be conducted at Aadhaar adult enrolment centres only.
- (m) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- (n) For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- (o) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- (p) Please refer Self Declaration for DoB Change [\*]
- (q) Please refer Exception Handling Mechanism [\*]
- (r) Exception handling process is carried out under jurisdiction of UIDAI Regional Offices and considered only after due diligence of the case by the Regional Office concerned.
- (s) All the documents should be latest and valid (except otherwise specified)."; and

#### SCHEDULE VI

[See regulation 27(1)(c)]

# FORM 9: Application by Aadhaar Number Holder for omission/cancellation of Aadhaar Number on attaining the Age of 18 Years

1.	Aadhaar Number or EID Number	
2.	Name	
3.	Gender	
4.	Parent's / legal guardian's name	
5.	Address	
6.	Date of Birth	
7.	Mobile Number	
8.	Choice of one Regional Office for authentication* (Please choose one out of Delhi / Chandigarh / Mumbai / Lucknow / Hyderabad / Guwahati / Ranchi / Bengaluru)	
9.	Declaration	In terms of sub-section (2) of section 3A of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, I hereby state that I want to get my Aadhaar number

	cancelled. I also affirm that details given above are true, correct and accurate and pertain to me. I also confirm that I am making this application within six months of attaining the age of eighteen years.
Signature or Thumb Impression	
Place	
Date	

\*The details of the regional offices out of which one has to be opted by resident for sending application and for subsequent authentication, shall be such as is provided at the official website of UIDAI i.e., www.uidai.gov.in.".

SALIL KUMAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./699/2023-24]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 14<sup>th</sup> September, 2016, *vide* notification number 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated the 12<sup>th</sup> September, 2016, and were subsequently amended *vide* Notification No. HQ-21026/1/2022-LEGAL-HQ (E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2023 (published on the 3<sup>rd</sup> October, 2023).